हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम एवं रोज़गार विभाग

वार्षिक
प्रशासनिक रिपोर्ट
2020-21

विषय सूची

क्र0 सं0	अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	अध्याय–1	परिचय	1
2.	अध्याय–2	संगठनात्मक ढांचा	2–6
3.	अध्याय–3 (1)	(क) कौशल विकास भत्ता योजना, 2013	6–9
		(ख) हि0 प्र0 औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना,2018	9–10
		(ग) मॉडल कैरियर सैन्टर	10–12
	(2)	(क) रोज़गार शाखा	13–14
		(ख) बेरोज़गारी भत्ता योजना, 2017	14–15
		(ग) विशेष रोज़गार कक्ष (विकलांगों हेतु)	15–16
		(घ) केन्द्रीय रोज़गार कक्ष की गतिविधियां	16
		(ङ) रोज़गार बाजार सूचना कार्यक्रम	17–19
4.	अध्याय–4	श्रम खण्ड	19–29
5.	अध्याय–5	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण	29–30
6.	अध्याय–6	बजट/वास्तविक खर्च वर्ष 2019–20	31–32
7.	अध्याय–7	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत अधिसूचना दिनांक 10–4–2007.	33–36
8.	अध्याय–8	सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 31 मार्च, 2019 की स्थिति दर्शाती विभागीय ए0पी0आई0ओ0,पी0आई0ओ0 व एपीलेट अथोरिटी का विवरण।	36–46

श्रम एवं रोज़गार विभाग की वित्त वर्ष 2020–21 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

अध्याय–1

परिचय

श्रम एवं रोज़गार विभाग, वर्ष 1972 से एक अलग विभाग के रूप में अस्तित्व में आया है तब से हिमाचल प्रदेश के मित्रतापूर्ण, परिश्रमी एवं आशावादी लोगों की सेवा में दृढ़संकल्प होकर कार्य कर रहा है।

श्रम एवं रोज़गार विभाग, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिये तीन स्तरों पर सेवाएं उपलब्ध करवाता है :–

1. **रोज़गार प्राप्ति से पहले सेवाएं.**––विभाग अपने रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास तथा जीविका परामर्श/व्यवसायिक मार्गदर्शन से सम्बन्धित सेवाएं उपलब्ध करवाता है। इसके तहत पात्र युवा आवेदकों को 1000/– रुपये, 1500/– रुपये की दर से कौशल विकास भत्ता प्रतिमाह दिया जाता है, जिससे उनकी दक्षता का स्तर बढ़े, तथा वे आसानी से अपनी आजीविका का निर्वाह कर सके।

2. **रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिये सेवाएं.**––विभाग प्रदेश में स्थित रोज़गार कार्यालयों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं की मांगानुसार पात्र पंजीकृत आवेदक के नामों का सम्प्रेषण करता है। निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं की जन–शक्ति की मांग को पूरा करने के लिये केन्द्रीय रोज़गार कक्ष के माध्यम से कैम्पस इन्टरव्यू/रोज़गार मेलों का आयोजन करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त रोज़गार कार्यालयों (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 को लागू करना तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं से रोजगार के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य किया जाता है।

3. **रोज़गार प्राप्ति उपरान्त सेवाएं.**––इसके अन्तर्गत श्रम कानूनों (जिनकी संख्या 28 केन्द्रीय एवं राज्य है) के तहत विभिन्न संस्थानों में कार्यरत कामगारों की सेवा शर्तों, सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा कारखानों में औद्योगिक शान्ति, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध से सम्बन्धित सेवाएं प्रदान करना, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत श्रमिकों एवं प्रबन्धकों के बीच मामलों को शीघ्रता से निपटाने हेतु स्थापित दो श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक प्राधिकरणों में पूर्णकालिक पीठासीन अधिकारी कार्यरत हैं, जिनका मुख्यालय शिमला व धर्मशाला में स्थित है। कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत मुख्यतः कारखानों का पंजीकरण, नवीनीकरण तथा उनमें कार्यरत कामगारों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जाता है।

श्रम एवं रोज़गार विभाग का संगठनात्मक ढांचा तथा वर्ष 2020–21 में इस विभाग द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों का ब्योरा, बजट विवरण एवं सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित सूचना इस प्रशासनिक रिपोर्ट के अगले भागों में दी गयी है।

अध्याय–2
श्रम एवं रोज़गार विभाग का संगठनात्मक ढांचा

2020–21 में श्रम एवं रोज़गार विभाग ने माननीय उद्योग, श्रम एवं रोज़गार मंत्री की देख–रेख में कार्य किया जो इस विभाग के प्रभारी मन्त्री हैं। सरकार स्तर पर सचिवालय में प्रधान सचिव (श्रम एवं रोज़गार) तथा अवर सचिव (श्रम एवं रोज़गार) द्वारा सहयोग दिया गया।

श्रम एवं रोज़गार विभाग के निदेशालय स्तर पर श्रमायुक्त एवं निदेशक रोज़गार ''विभागाध्यक्ष'' के रूप में कार्यरत हैं।

निदेशालय स्तर पर विभाग मुख्यतः तीन भागों में विभाजित हैः–

1. (क) निदेशालय स्तर पर श्रम खण्ड का कार्य श्रमायुक्त की देख–रेख में संयुक्त श्रमायुक्त एवं उप–श्रमायुक्त द्वारा संचालित किया जाता है। कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत श्रमायुक्त को ''मुख्य कारखाना निरीक्षक'' घोषित किया गया है तथा संयुक्त–श्रमायुक्त ''अतिरिक्त मुख्य कारखाना निरीक्षक'' एवं उप–श्रमायुक्त ''उप मुख्य कारखाना निरीक्षक'' घोषित किये गये हैं।

(ख) कारखाना अधिनियम, 1948 को कार्यान्वित करने के लिये दो उप–निदेशक कारखाना के पद सृजित हैं जिनमें से एक शिमला में तथा एक ऊना में स्वीकृत है। एक पद सहायक निदेशक (कारखाना) रसायन का रिक्त है।

इनका कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार से विभाजित है :–

1. उप–निदेशक कारखाना–शिमला जिला–शिमला, किन्नौर, बिलासपुर, सोलन (बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर)।

2. उप–निदेशक कारखाना, ऊना जिला–कांगड़ा, चम्बा, ऊना, हमीरपुर, मण्डी, कुल्लू, लाहौल–स्पीति व सिरमौर तथा बद्दी, बरोटीवाला तथा नालागढ़ का औद्योगिक क्षेत्र।

   उप–निदेशक (कारखाना) शिमला, निदेशालय का कार्य जो कि कारखाना खण्ड से सम्बन्धित है, भी देख रहे हैं।

(ग) इसी प्रकार निदेशालय स्तर पर रोज़गार से सम्बन्धित कार्यकलापों के लिये निदेशक रोज़गार की देख–रेख में उप–निदेशक रोज़गार तथा रोज़गार अधिकारी (केन्द्रीय रोज़गार कक्ष) कार्यरत रहे हैं जो कि रोज़गार शाखा, राज्य व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम, अपंगों हेतु विशेष रोज़गार कक्ष, कौशल विकास भत्ता योजना शाखा तथा केन्द्रीय रोज़गार कक्ष के कार्यों की देख–रेख करते हैं।

2. श्रम एवं रोजगार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों का विवरण :

(क) श्रम कानूनों को लागू करने के लिये 12 श्रम अधिकारी तथा 33 श्रम निरीक्षक नियुक्त हैं।श्रम अधिकारी तथा उनके कार्यक्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से है :–

1. श्रम अधिकारी, शिमला	उप–मण्डल शिमला (शहरी एवं ग्रामीण), उप–मण्डल चौपाल एवं ठियोग तहसील।
2. श्रम अधिकारी, रामपुर	रामपुर, रोहडू तथा डोडरा–क्वार उप–मण्डल तथा कुमारसैन तहसील, जिला शिमला तथा उप–मण्डल आनी जिला कुल्लू।
3. श्रम अधिकारी, सोलन	उप–मण्डल सोलन, कण्डाघाट, अर्की तथा कसौली तहसील

	(बद्दी–बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर)।
4. श्रम अधिकारी, बद्दी	तहसील नालागढ़ तथा औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला
5. श्रम अधिकारी, नाहन	जिला सिरमौर
6. श्रम अधिकारी, मण्डी	जिला मण्डी
7. श्रम अधिकारी, कुल्लू	जिला कुल्लू (उप–मण्डल आनी को छोड़कर) उदयपुर तथा केलांग उप–मण्डल।
8. श्रम अधिकारी, किन्नौर	जिला किन्नौर व उप–मण्डल काजा
9. श्रम अधिकारी, धर्मशाला	जिला कांगड़ा
10. श्रम अधिकारी, चम्बा	जिला चम्बा
11. श्रम अधिकारी, बिलासपुर	जिला बिलासपुर एवं हमीरपुर
12. श्रम अधिकारी, ऊना	जिला ऊना

(ख) कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्रदेश को दो खण्डों में विभाजित किया गया है। इनमें से एक खण्ड का मुख्यालय शिमला में स्थापित है जबकि दूसरे खण्ड का मुख्यालय ऊना में स्थापित है।

(ग) रोज़गार खण्ड में 3 क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, 2 विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो, 9 जिला रोज़गार कार्यालय तथा 65 उप–रोज़गार कार्यालय कार्यरत हैं, जिनका विवरण निम्न है :–

क्रमांक	कार्यालय का नाम	अधीनस्थ कार्यालय का विवरण
1.	क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, शिमला।	कुमारसैन, मशोबरा, ठियोग, रामपुर–बुशैहर, रोहडू, जुब्बल, सुन्नी, चौपाल, चिड़गांव, डोडरा–क्वार तथा कुपवी।
2.	क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, मण्डी।	सुन्दरनगर, जोगिन्द्रनगर, करसोग, सरकाघाट, गोहर, पधर नेरचौक, बालीचौकी तथा थुनाग।
3.	क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, धर्मशाला।	पालमपुर, ज्वाली, नूरपुर, लम्बागांव, नगरोटा–सूरियां, बैजनाथ, इन्दौरा, बड़ोह, देहरा, फतेहपुर, कस्बा–कोटला, कांगड़ा, ज्वालामुखी तथा नगरोटा बगवां।
4.	जिला रोज़गार कार्यालय चम्बा।	डलहौजी, भरमौर, पांगी, चुवाड़ी, तीसा एवं सलूणी स्थित सुन्डला।
5.	जिला रोज़गार कार्यालय, हमीरपुर।	नदौन, भोरंज, बड़सर एवं सुजानपुर।
6.	जिला रोज़गार कार्यालय, बिलासपुर।	घुमारवीं एवं श्री नैना देवी जी ।
7.	जिला रोज़गार कार्यालय, कुल्लू।	बंजार एवं आनी।
8.	जिला रोज़गार कार्यालय, सोलन।	नालागढ़, अर्की, कसौली एवं बद्दी।
9.	जिला रोज़गार कार्यालय, नाहन।	पांवटा साहिब, राजगढ़, शिलाई, संगड़ाह, सराहां एवं कमराऊ।
10.	जिला रोज़गार कार्यालय, केलांग।	काज़ा एवं उदयपुर।
11.	जिला रोज़गार कार्यालय किन्नौर स्थित रिकांग पिओ।	पूह एवं निचार।
12.	जिला रोज़गार कार्यालय, ऊना।	अम्ब, हरोली एवं बंगाणा।
13.	सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र हि0 प्र0 विश्वविद्यालय, शिमला।	इस कार्यालय के अधीन कोई कार्यालय नहीं है।
14.	सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र हि0 प्र0 विश्वविद्यालय, पालमपुर।	–यथोपरि –

क्रमांक	कार्यालय का नाम	अधीनस्थ कार्यालय का विवरण
15.	निदेशालय श्रम एवं रोज़गार में स्थित।	केन्द्रीय रोज़गार कक्ष।
16.	निदेशालय श्रम एवं रोज़गार में स्थित।	विशेष रोज़गार कार्यालय (अपंगों हेतु)।

3. वर्ष 2020–21 में श्रम एवं रोज़गार विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/नियुक्ति तथा पदोन्नति का विवरण :

1. नई नियुक्तियां :		
(1)	दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी	3
2. पदोन्नतियां :		
(1)	जिला रोज़गार अधिकारी	6
(2)	अधीक्षक ग्रेड–I	1
(3)	अधीक्षक ग्रेड–II	5
(4)	रोज़गार अधिकारी	4
(5)	निजी सहायक	1
3. पदस्थापित		
(1)	कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थापित	2
4. सेववानिवृत्त :		
(1)	प्रथम श्रेणी	5
(2)	द्वितीय श्रेणी	4
(3)	तृतीय श्रेणी	4
(4)	चतुर्थ श्रेणी	4

श्रम एवं रोज़गार विभाग में दिनांक 31–3–2021 तक कुल 479 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 158 पद रिक्त हैं जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	खाली पदों की प्रतिशतता
1.	श्रमायुक्त एवं निदेशक रोज़गार (भा.प्र.से.)	1	1	–	
2.	पीठासीन अधिकारी	2	2	–	
3.	संयुक्त श्रमायुक्त	1	1	–	
4.	उप श्रमायुक्त	1	1	–	
5.	उप–निदेशक रोज़गार	1	–	1	
6.	उप–निदेशक कारखाना	1	1	–	
7.	सहायक निदेशक कारखाना,(मकैनिकल/कैमिकल)	2	1	1	
8.	जिला रोज़गार अधिकारी	13	11	2	
9.	अधीक्षक,ग्रेड-I	1	1	–	
10.	श्रम अधिकारी	12	11	1	
11.	रोज़गार अधिकारी	20	17	3	
12.	विधि अधिकारी	1	1	–	

13.	निजि सहायक	1	—	1	
14.	अधीक्षक, ग्रेड-II	12	12	—	
15.	वरिष्ठ आशुलिपिक	2	1	1	
16.	वरिष्ठ सहायक	62	17	45	
17.	सांख्यिकीय सहायक	11	4	7	
18.	श्रम निरीक्षक	33	26	7	
19.	प्रोग्राम प्लानिंग ऑफिसर	1	1	—	
20.	कनिष्ठ आशुलिपिक	1	1	—	
21.	आशुटंकक	4	3	1	
22.	चालक	5	4	1	
23.	लिपिक/कनिष्ठ सहायक	80	58	22	
24	जूनियर ऑफिस असिस्टैंट।	78	30	48	
25.	दफ्तरी	4	1	3	
26.	चौकीदार	13	9	4	
26.	चपड़ासी	115	105	10	
27.	फ्राश	1	1	—	
	जोड़ ..	**479**	**321**	**158**	**32.98%**

श्रम एवं रोज़गार विभाग, हिमाचल प्रदेश के अधीन वित्त वर्ष 2020–21 में दिनांक 112 कार्यालय कार्यरत हैं।

(क) विभागीय 24 कार्यालय जो सरकारी भवनों में हैं.––श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक प्राधिकरण शिमला तथा धर्मशाला, क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय मण्डी तथा शिमला, विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो शिमला एवं पालमपुर, जिला रोज़गार कार्यालय चम्बा तथा रिकांग–पीओ, श्रम अधिकारी कार्यालय मण्डी, बद्दी तथा रामपुर बुशैहर, श्रम निरीक्षक कार्यालय रामपुर बुशैहर, मण्डी, परवाणु, नालागढ़, बद्दी, तथा पांवटा साहिब एवं उप–रोज़गार कार्यालय रामपुर बुशैहर, नालागढ़, भरमौर, काज़ा एवं चिड़गांव, हरोली व बंगाणा।

(ख) विभागीय 47 कार्यालय जो विभागीय भवनों में हैं.––श्रम एवं रोज़गार निदेशालय शिमला, उप–निदेशक कारखाना शिमला, उप–निदेशक कारखाना ऊना, विशेष रोज़गार कक्ष (अपंगों हेतु), केन्द्रीय रोज़गार कक्ष, क्षेत्रीय रोज़ग़ार कार्यालय धर्मशाला, जिला रोज़गार कार्यालय ऊना, बिलासपुर, नाहन, कुल्लू व सोलन श्रम कार्यालय बिलासपुर, कुल्लू व सोलन, एवं श्रम निरीक्षक कार्यालय, बिलासपुर, कुल्लू, अम्ब, सुन्दरनगर, पालमपुर, देहरा, नूरपुर, नाहन, नालागढ़ व सोलन तथा उप–रोज़गार कार्यालय पांगी, तीसा, अम्ब, सराहां, बैजनाथ, पालमपुर, देहरा, इन्दौरा, जोगिन्द्रनगर, करसोग, सरकाघाट, सुन्दरनगर, पूह, संगड़ाह, सुजानपुर टिहरा, ज्वाली, चुवाड़ी फतेहपुर एवं चौपाल, उदयपुर, नालागढ़, गोहर एंव नगरोटा सूरियां ।

(ग) शेष **41** कार्यालय निजी भवनों में स्थित हैं।

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	प्राप्त प्राक्कलन	आबंटित बजट
1.	उप–रोज़गार कार्यालय, सरकाघाट जिला मण्डी, हि0 प्र0।	` 4,99,000/–	` 99,000/–
2.	जिला रोजगार कार्यालय किन्नौर स्थित रिकॉगपिओं, हि0 प्र0।	` 3,00,000,200/–	` 1,11,15,600/–
3.	श्रम कार्यालय, उना जिला उना, हि0 प्र0।	` 59,62,400/–	` 3,78,400/–
4.	उप–रोज़गार कार्यालय, घुमारवी जिला बिलासपुर, हि0 प्र0।	` 63,47,230/–	` 34,00,000/–
5.	उप–रोज़गार कार्यालय, नादौन जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।	` 92,44,600/–	` 64,07,000/–
	वित्त वर्ष 2020–21 में कुल प्राप्त बजट : ` 2,14,00,000/–.		**वित्त वर्ष 2020–21 में कुल खर्च़ बजट ` 2,14,00,000/–.**

नोट.––तालिका में अंकित कार्यालय उपरोक्त वर्णित कार्यालयों में ही सम्मिलित है।

अध्याय–3

जैसा कि इसी वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन के परिचय में वर्णित है विभाग हिमाचल प्रदेश की जनता को तीन स्तरों पर सेवाएं प्रदान करता है।

(1) रोज़गार प्राप्ति से पहले सेवाएं

(क) कौशल विकास भत्ता योजना, 2013 :

- स्किल डवैलपमैन्ट अलाऊंस स्कीम, 2013 अर्थात् कौशल विकास भत्ता योजना को हि0प्र0 सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–श्रम(डी) 1–2/2013 दिनांक 21–5–2013 द्वारा अधिसूचित किया गया तथा अधिसूचना की तिथि से लागू किया जा रहा है।
- **योजना का उद्देश्य.**–कौशल विकास भत्ता योजना का उद्देश्य हि0 प्र0 के पात्र बेरोज़गार युवाओं को उनके कौशल विकास हेतु भत्ता प्रदान करना है, ताकि युवा अपने कौशल का विकास कर पाये और अपनी रूचि के क्षेत्र में रोज़गार या स्वरोज़गार अर्जित करने हेतु समर्थ हों।
- **कौशल विकास भत्ते की दर.**–योजना के अन्तर्गत पात्र हिमाचली आवेदकों को रु0 1000/– प्रतिमाह की दर से व 50 प्रतिशत या इससे अधिक स्थायी दिव्यांग आवेदकों को रु0 1500/– प्रतिमाह की दर से कौशल विकास भत्ता प्रशिक्षण के दौरान अधिकतम दो वर्ष तक देय है।
- **कौशल विकास भत्ता हेतु पात्रता शर्तें:** कौशल विकास भत्ता हेतु पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं :

  1. आवेदक हिमाचल प्रदेश का वास्तविक निवासी हो,

2. बेरोजगार (न सरकारी, न निजि रोज़गार, न ही स्वरोजगार) हो,
3. कम से कम 8वीं पास हो (मिस्त्री, बढ़ई, लुहार व पलम्बर आदि में प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है),
4. आयु 16 से लेकर 36 वर्ष से कम, (विधवाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष से कम)
5. पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम,
6. आवेदन की तिथि को आवेदक हि0प्र0 के किसी रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिये,
7. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कौशल विकास पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा/रही हो।

• **कौशल विकास भत्ता तथा लाभार्थियों का विवरण.**—योजना के प्रारम्भ से दिनांक 31—03—2021 तक 3,19,961 अभ्यर्थियों को ` 323.59 करोड़ की राशि कौशल विकास भत्ते के रूप में विभाग द्वारा वितरित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष अनुसार व जिलाबार व्यौरा निम्न प्रकार से है।

वित्तीय वर्ष 2013—14, 2014—15, 2015—16, 2016—17 तथा 2017—18, 2018—19, 2019—20 व 2020—2021 के दौरान दिए गए भत्ते तथा लाभार्थियों की संख्या बारे विवरण

वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	प्रदान किए गए भत्ते की राशि ` में
2013—14	**42,077**	13,96,48,500
2014—15	**52,815** (21,126 ऐसे लाभार्थी हैं जो पिछले वित्तीय वर्ष से जारी कर रहे हैं और 31,689 आवेदक इस वित्तीय वर्ष में इनरोल किए गए)	28,69,15,854
2015—16	**67,753** (जिनमें कि 27,221 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षों से जारी कर रहे हैं तथा 40,532 इस वित्तीय वर्ष के नए अभ्यर्थी हैं)	40,00,74,500
2016—17	**80,606** (जिनमें कि 28,729 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षों से जारी कर रहे हैं तथा 51,877 इस वित्तीय वर्ष के नए अभ्यर्थी हैं)	53,68,09,731
2017—18	**90,428** (जिनमें कि 40,349 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षों से जारी कर रहे हैं तथा 50,079 इस वित्तीय वर्ष के नए अभ्यर्थी हैं)	58,46,26,000
2018—19	**80,656** (जिनमें कि 32,136 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षो से जारी कर रहे है तथा 48,520 इस वित्तीय वर्ष के नए अभ्यर्थी है)	56,78,42,500
2019—20	**73,210** (जिसमें कि 32,441 अथ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षो से जारी कर रहे है तथा 40,769 इस वित्तीय वर्ष मे नए अथ्यर्थी है)	45,89,30,000
2020—21	**55,060**	26,10,60,000

वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	प्रदान किए गए भत्ते की राशि ` में
	(जिसमें कि 40,642 अथ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षो से जारी कर रहे है तथा 14,418 इस वित्तीय वर्ष मे नए अथ्यर्थी है)	
कुल	**3,19,961**	**3,23,59,07,085**

- **योजना के प्रारम्भ से दिनांक 31–03–2021 तक जिलावार ब्योरा निम्न प्रकार से हैं:**

क्र0 सं0	जिला का नाम	कुल प्रशिक्षणार्थी/लाभार्थी	वितरित भत्ता राशि ` में
1.	कांगड़ा	82583	848690000
2.	मण्डी	46001	455146500
3.	सिरमौर	31908	296158000
4.	ऊना	30253	322486854
5.	हमीरपुर	26205	274708000
6.	कुल्लू	22249	230080000
7.	बिलासपुर	21601	218106000
8.	चम्बा	19870	196544000
9.	शिमला	19184	191100631
10.	सोलन	18420	184157100
11.	किन्नौर	1375	15365500
12.	लाहौल स्पीति	312	3364500
	कुल ..	**3,19,961**	**3,23,59,07,085**

- **कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत मान्य प्रशिक्षण.**–कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत मान्य प्रशिक्षणों बारे गाईडलाइन्ज/सूची तैयार की गई। इन गाईडलाइन्ज को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है जो कि विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध है। इन गाईडलाइन्ज अनुसार **कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत मान्य प्रशिक्षण मुख्यतः**

(1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलीटैक्नीकल कॉलेज़ों द्वारा दिए जा रहे डिप्लोमा प्रशिक्षण व सर्टिफिकेट कोर्स, एन0एस0क्यू0एफ0 (NSQF), एन0सी0वी0टी0 (NCVT) एस0सी0वी0टी0 (SCVT) तथा सरकार द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रशिक्षण व कोर्स।

(2) राष्ट्रीय होटल प्रबन्धन कौंसिल से मान्यता प्राप्त होटल प्रबन्धन व हॉस्पीटैलिटी में डिप्लोमा व सर्टिफिकेट प्रशिक्षण व कोर्स।

(3) कम्प्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा करवाए जा रहे डिप्लोमा प्रमाण–पत्र प्रशिक्षण, सरकार व इसके निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों और राष्ट्रीय

स्तर के निजी क्षेत्र के संस्थान जिनमें कि राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (NIIT), एप्टैक (Aptech), जैटकिंग (Jetking), ए0आई0एस0ई0सी0टी0 (AISECT), हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्ज समिति (HCL) शामिल हैं द्वारा कम्प्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी में करवाए जा रहे डिप्लोमा प्रमाण–पत्र प्रशिक्षणों (बशर्ते निजी प्राधिकृत संस्थानों को जिला स्तरीय समितियों द्वारा अनुशसित किया गया हो) के अतिरिक्त।

(4) जिला स्तरीय समितियों द्वारा प्राधिकृत संस्थानों के मुख्यतः कटिंग टेलरिंग, ब्यूटीशियन, कढ़ाई, बुनाई, फैशन डिज़ाइनिंग, सॉफ्ट टॉय मेकिंग, मोबाईल रिपेयर, चम्बा रूमाल एम्ब्रॉयडरी, मूर्ति कला, बैम्बू आर्टिकल, इलैक्ट्रीशियन, हैन्डलूम, शोर्ट हैन्ड टाइपिंग आदि में दिए जा रहे प्रशिक्षण जो कि युवाओं को स्वयं रोजगार उपलब्ध करवाने में सहायक हैं, योजना के अन्तर्गत मान्य हैं।

(5) नर्सिंग क्षेत्र में रोजगार की अधिक सम्भावनाओं के अनुरूप नर्सिंग में डिप्लोमा व सर्टिफिकेट प्रशिक्षण के अलावा बी0एस0सी0 नर्सिंग एवं नर्सिंग में अन्य स्नातक प्रशिक्षणों जो सरकारी व सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से किया जा रहा हो को भी योजना के अन्तर्गत अप्रैल 2015 से शामिल किया गया है।

(6) इसके अतिरिक्त हि0 प्र0 सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के चुनिन्दा महाविद्यालयों द्वारा **B. Voc. Education (Retail Management and Tourism & Hospitality)** को भी फरवरी, 2017 से योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया ।
इस समय लगभग 1200 से अधिक प्रशिक्षण संस्थानों/निकायों (सरकारी संस्थाओं तथा सरकार से मान्यताप्राप्त गैर सरकारी संस्थानों और प्रशिक्षण संस्थान जिन्हें कि जिला स्तरीय समितियों द्वारा अनुसंशित/इम्पैनल किया गया है) द्वारा करवाए जा रहे प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत मान्य हैं। प्रशिक्षण संस्थानों/निकायों बारे सूचना विभागीय वैबसाईट पर भी उपलब्ध है।

अंग्रेजी भाषा में प्रशिक्षण कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत शामिल–हि0प्र0 सरकार द्वारा, अंग्रेजी भाषा बोलने हेतू प्रशिक्षण के लिए अच्छी संस्थाओं को सूचीवद्ध करने तथा अंग्रेजी भाषा बोलने हेतू प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पात्र युवाओं को कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत भत्ता प्रदान करने बारे, लिए गए निर्णय को लागू करने के आशय से विभाग द्वारा इस बारे स्कीम/गाईडलाईन्स जारी की गई। प्रारम्भिक स्तर पर हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के 57 चुनिन्दा संस्थानों में अंग्रेजी भाषा में प्रशिक्षण प्रदान करने बारे निर्णय लिया गया तथा वर्तमानमें इन संस्थानों की संख्या 65 है। अग्रेजी भाषा में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पात्र आवेदकों को विभाग द्वारा कौशल विकास भत्ता योजना के अर्न्तगत भत्ता प्रदान किया जाता है।

कौशल विकास भत्ते का भुगतानः कौशल विकास भत्ते का भुगतान पात्र प्रशिक्षणार्थियों को सीधा उनके बैंक खातों में ऑनलाईन अदा किया जाता है।

(ख) हिमाचल प्रदेश औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना, 2018ः

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उद्योगों में रोजगार प्राप्त युवाओं को 2 वर्ष तक कौशल विकास भत्ता प्रदान करने बारे लिए गए निर्णय को लागू करने के आशय से विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना, 2018 को 2.11.2018 को अधिसूचित किया गया और क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत योजना की अधिसूचना की तिथि अर्थात 2.11.2018 से उद्योगों में नियुक्त नए कामगारों/कर्मचारियों/प्रशिक्षुओं जो निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरा करते हैं, को नौकरी/ईन्टरनशीप के दौरान कौशल विकास हेतू रु0 1000/–प्रति माह तथा 50 प्रतिशत या इससे अधिक स्थायी दिव्यांग आवेदकों को रु0 1500/– प्रतिमाह की दर से, औद्योगिक कौशल विकास भत्ता का दो वर्ष (24 माह) तक प्रावधान है, ताकि उधोगों में कार्यरत युवा ऑनजॉब प्रशिक्षण प्राप्त कर रोज़गार के बेहतर विकल्पों का लाभ उठा सकें।

पात्रता शर्तें :

1. आवेदक हिमाचल प्रदेश का वास्तविक निवासी हो,

2. हिमाचल प्रदेश में निजी औद्योगिक संस्थान जोकि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (एम) (आई) के अन्तर्गत पंजीकृत हो, में अधिसूचना की तिथि अर्थात 2.11.2018 और इसके उपरान्त नया कामगार/कर्मचारी/प्रशिक्षु नियुक्त किया गया हो तथा कुल वेतन/स्टाइफण्ड ` 15000 या इससे कम हो ।

3. शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है।

4. आयु 18 से लेकर 36 वर्ष से कम हो।

5. नियौक्ता द्वारा मुफ्त में आवासीय सुविधा प्रदान न की गई हो।

6. पहले 24 माह तक कौशल विकास भत्ता या बेरोज़गारी भत्ता प्राप्त न किया हो। लेकिन 24 माह से कम समय हेतू कौशल विकास भत्ता या बेरोज़गारी भत्ता प्राप्त करने की स्थिति में शेष समय हेतू औद्योगिक कौशल विकास भत्ता हेतू अन्य पात्रता मापदण्ड पूरा करने पर पात्र होगें।

7. वह सरकार का बरखास्त कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

8. वह किसी ऐसे अपराध में अभियुक्त न हो जिसकी वजह से 48 घण्टे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हो।

9. आवेदन की तिथि को आवेदक हि0प्र0 के किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो।

हिमाचल प्रदेश औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना के अर्न्तगत दिनांक 31.03.2021 तक 2762 पात्र आवेदकों को रू0 92,97,000 औद्योगिक कौशल विकास भत्ता प्रदान किया गया।

(ग) **व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा रोजगार परामर्शः** विभाग प्रदेश के युवाओं का व्यवसायिक मार्गदर्शन तथा कौसलिंग से सम्बन्धित कार्यों का क्रियान्वयन भी करता है तथा इसी आशय से जिला रोजगार कार्यालयों को मॉडल कैरियर सैन्टर में बदला जा रहा है। माननीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश द्वारा सभी जिला रोजगार कार्यालयों में व बड़े महाविद्यालयों में युवाओं के मार्गदर्शन के लिए रोजगार सैल (Cell) खोले जाने से सम्बन्धित घोषणा के क्रियान्वयन हेतू भी विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस आश्य से हि0प्र0 सरकार द्वारा दिनांक 20.11.2018 को गाईडलाईन्स जारी की गई है। युवाओं को प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन प्रदान करने के उदेश्य से प्रत्येक जिलों में उप मण्डलाधिकारी (नागरिक) की अध्यक्षता में हि0प्र0 सरकार के 16 विभागों/संस्थाओं के प्रतिनिधियों की टीमें गठित की गई हैं और इन टीमों द्वारा सम्बन्धित रोजगार कार्यालयों के अतिरिक्त प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बेरोज़गार युवाओं को कौशल विकास, रोजगार के विभिन्न उपलब्ध विकल्पों, रोजगार व स्वरोजगार अवसरों बारे तथा युवाओं से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं बारे उचित जानकारी/मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। नवम्बर 2018 से दिनांक 31.03.2020 तक प्रदेश में कुल 436 मार्गदर्शन कैम्प आयोजित किए गए जिनमें 51,937 युवाओं ने भाग लिया। लेकिन वित्तीय वर्ष 2020–21 में कोविड–19 से उत्पन्न स्थिति के कारण विभाग की इस गतिविधि के अर्न्तगत कार्यक्रमों के आयोजन पर काफी प्रभाव पड़ा। इस वित्तीय वर्ष में केवल 51 मार्गदर्शन कैम्प ही आयोजित किए गए। लेकिन रोजगार कार्यालय में पंजीकरण एंव अन्य कार्यो हेतू आने वाले युवाओं को विभाग के अधिकारियों/सक्षम कर्मचारियों द्वारा व्यवसायिक/आजिविका मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

(घ) आदर्श आजीविका केन्द्रों (Model Career Centers) की स्थापना।

श्रम और रोज़गार मंत्रालय एवं भारत सरकार ने 20 जुलाई, 2015 को राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) योजना शुरू की है। जिसका उद्देश्य युवाओं को विभिन्न प्रकार की रोज़गार संबंधी सेवाएं प्रदान करना है। राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) योजना का एक महत्वपूर्ण घटक मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार मौजूदा रोज़गार एक्सचेंजों को मॉडल कैरियर केंन्द्रों में बदलना है। हिमाचल प्रदेश के लिए 2 मॉडल कैरियर केन्द्रों ऊना और शिमला को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। परन्तु अब शिमला में जगह नहीं मिलने के कारण जिला रोज़गार कार्यालय कुल्लू को भारत सरकार द्वारा मॉडल कैरियर केन्द्र में परिवर्तित किया जा रहा है। तदनुसार बद्दी औद्योगिक क्षेत्र सहित शेष जिलों में एशियाई विकास बैंक के वित पोषण के साथ मॉडल कैरियर केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। लेकिन जिला किन्नौर और लाहौल स्पिति को अब एशियाई विकास बैंक परियोजना से बाहर रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में मॉडल कैरियर केंद्रों को चलाने के लिये एशियाई विकास बैंक फंड से परियोजना के पूर्ण होने तक विभाग ने 11 यंग प्रोफेसनल और 02 कैरियर सलाहकार (जिनमें से एक कैरियर काऊस्लर नौकर छोड़ गया है) नियुक्त किए गए है और ये सक्षम अधिकारी/कर्मचारी विभाग में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे है तथा प्रदेश के युवाओं को एनसीएस पोर्टल के अतिरिक्त रोजगार में विभिन्न विक्लपों और रोजगार एंव स्वरोजगार के अवसर आदि बारे जागरूक कर रहे है। हिमाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार के अनुदान से साथ जिला रोजगार कार्यालय ऊना को मॉडल कैरियर सेंटर में परिवर्तित कर लिया गया है और जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर का कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

अन्य जिला रोजगार कार्यालय व उप रोजगार कार्यालय जैसे शिमला, सिरमौर, मंडी, बद्दी, कांगडा, सोलन, किन्नौर व बिलासपुर आदि को मॉडल कैरियर सैन्टर में परिवर्तित स्थिति बारे ब्यौरा निम्त प्रकार से है:

क्र० स०	जिला का नाम	कुल प्राप्त प्राकलन	ब्यौरा
1.	**ऊना**	58,78,200/–	हिमाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार के अनुदान के साथ। मॉडल कैरियर सेंटर, ऊना के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण कर दिया गया है ।
2.	**शिमला**	–––––	इस वित्त वर्ष में कही भी उपयुक्त जमीन नही मिली है।
3.	**हमीरपुर**	3,36,71,657/–	एशियाई विकास बैंक के अनुदान के साथ निर्माण का कार्य शीघ्र ही पूरा कर दिया जायेगा।
4.	**सिरमौर**	–––––	सिरमौर में मॉडल कैरियर सैन्टर बनाने हेतु विभाग के नाम स्थानातरित की गई भूमि उपायुक्त सिरमौर द्वारा कार्यालय आदेश संख्या पेशी–II–8(50)टास्फ/2016 दिनांक 26–08–2019 द्वारा निरस्त कर दी गई। इस वित्त वर्ष में कही भी उपयुक्त जमीन नही मिली है।
5.	**मण्डी**	2,36,35,000/–	विभाग द्वारा पत्र संख्याः एल एण्ड ई (बिल्डिग)2/2019 मॉडल कैरियर सैन्टर मण्डी दिनांकः 09–08–2019 के तहत प्रशासनिक स्वीकृति हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दी गई है। तदानुसार उपरोक्त कार्य प्रगति पर है।
6.	**बद्दी**	3,54,20,679/–	विभाग द्वारा पत्र संख्याः एल एण्ड ई (बिल्डिग)3/2016 मॉडल कैरियर सैन्टर बद्दी दिनांक 09–08–2019 के तहत प्रशासनिक स्वीकृति हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दी गई है। तदानुसार उपरोक्त कार्य प्रगति पर है।
7.	**कॉगडा**	1,03,70,800/–	विभाग द्वारा पत्र संख्याः एल एण्ड ई (बिल्डिग)3/2019

			मॉडल कैरियर सैन्टर धर्मशाला दिनांक 09–08–2019 के तहत प्रशासनिक स्वीकृति हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दी गई है। तदानुसार उपरोक्त कार्य प्रगति पर है।
8.	**कुल्लू**	28,78,500/– (प्राप्त /आबंटित रू0 16,75,500/– 60 प्रतिशत)	एमसीसी शिमला का फण्ड एमसीसी कुल्लू को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रोज़गार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम और रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांकः 04–02–2019 को भेजा गया था। श्रम और रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार ने उक्त फण्ड को मॉडल कैरियर सेन्टर कुल्लू को पत्र संख्या डी0 जी0 ई0–यू0 011/4/2019–एमएमपीसैल/एमएमसी/एचपी दिनांकः 24–09–2019 के तहत स्वीकृत कर दिया गया है। इस विभाग द्वारा कुल्लु को पत्र संख्या एल0 एड ई0 (बिल्डिग) 7/ 2019 – एमसीसी कुल्लू दिनांकः 28–12–2019 को आगामी कार्यवाही हेतु प्रदान कर दिया गया जिसके तहत कुल्लू द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
9.	**किन्नौर**	3,00,00,00,200/–	मॉडल कैरियर सैन्टर किन्नौर को स्टेट फंडिग के साथ स्थापित किया जा रहा है। विभाग के नाम पर भूमि हस्तांतरित कर दी गई है। वित्त वर्ष 2018–19 में विभाग के मुख्य शीर्ष कैप्टिल वर्क्स में रूपये 1.87 करोड दिया गया है। तदानुसार उपरोक्त कार्य 12 अगस्त, 2020 को शुरू कर दिया गया है।
10.	**सोलन**	4,21,38,000/–	सोलन में मॉडल कैरियर सैन्टर बनाने हेतु विभाग के नाम भूमि स्थानातरित की गई । विभाग द्वारा पत्र संख्या एल0एण्ड0ई0 (बिल्डिग) 2/2020 मॉडल कैरियर सैन्टर सोलन दिनाक 28.01. 2021 के तहत प्रशासनिक स्वीकृति हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दी गई है।
11.	**चम्बा**	3,80,22,000/–	विभाग द्वारा पत्र संख्याः एल एण्ड ई (बिल्डिग)2/2020 मॉडल कैरियर सैन्टर चम्बा दिनांक 16–03–2020 के तहत प्रशासनिक स्वीकृति हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दी गई है।
12.	**बिलासपुर**	1,24,63,407/–	अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एंव रोज़गार) हि0 प्र0 सरकार के कार्यालय पत्र संख्या श्रम (सी) 5–2/2016 दिनांक 20–03–2020 के तहत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है।
13.	**लाहौल स्पीति**	————	भूमि अभी तक हस्तांतरित नहीं की गई है।
14	**कस्बा–कोटला**	40,30,94,000/–	मॉडल कैरियर सैन्टर बनाने हेतु भूमि विभाग के नाम स्थानात्तरित हो गई है दिसम्बर 2020 में प्रशासनिक स्वीकृति हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दी गई है और तदानुसार

			आगामी आवश्यक कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है।

2.रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिये सेवाएं

(क) रोज़गार शाखा :

हिमाचल प्रदेश में इस समय 3 क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, 9 जिला रोजगार कार्यालय, 2 विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र व 65 उप–रोज़गार कार्यालय कार्यरत हैं। ये रोज़गार कार्यालय अभ्यर्थियों/जनता को पंजीकरण, सेवा नियोजन, व्यावसायिक मार्गदर्शन सूचना देने में सहायता करते हैं व रोजगार बाजार सूचना भी एकत्रित करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने फौरन इम्प्लायमैंट एण्ड मैनपावर एक्सपोर्ट ब्यूरो का निदेशालय श्रम एवं रोज़गार में गठन किया है ताकि विदेश जाने के इच्छुक कामगारों का प्राईवेट एजेन्टों से होने वाले शोषण से उन्हें बचाया जा सके।

1–4–2020 से 31–3–2021 तक विभाग द्वारा की गई उपलब्धियां

क्र. सं.	जिला	पंजीकरण	अधिसूचित रिक्तियां	सम्प्रेषण	सेवा नियोजन		सजीव पंजीका (पंजीकृत आवेदकों की संख्या)	नियोजित आवेदक
					सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र		
1.	बिलासपुर	10502	0	2965	13	33	56616	2,419
2.	चम्बा	10414	2225	4634	11	253	60927	0
3.	हमीरपुर	12055	47	8888	104	79	64959	2861
4.	कांगड़ा	31533	262	15937	187	61	181073	6205
5.	किन्नौर	3147	0	3	0	0	8197	0
6.	कुल्लू	8272	0	866	13	44	54051	59
7.	लाहौल स्पीति	140	0	0	0	0	5028	5028
8.	मण्डी	32226	172	8145	238	271	157641	5214
9.	शिमला	10809	2020	4751	53	36	76038	859
10.	सिरमौर	9920	951	2834	85	91	59728	4504
11.	सोलन	10587	3528	16316	22	140	55538	3904
12.	ऊना	10814	476	6261	388	211	66509	3001
	दिव्यांग आवेदक	(1421)	350	1304	12	0	(19068)	0
	जॉब फेयर	0	0	0	0	0	0	0

	जोड़ .. 150419	10031	72904	1126	1219	846305	34054

शिक्षावार विभाजन

स्नातकोत्तर	75685
स्नातक	135841
+2	397268
दसवीं	207386
दसवीं से कम पढ़े–लिखे	29642
अनपढ़	483
कुल योग ..	**846305**

जातिवार विभाजन

अनुसूचित जाति	218748
अनुसूचित जनजाति	48510
ओ.बी.सी.	110818
अन्य	468229
कुल योग ..	**846305**

स्त्री/पुरुष विभाजन

पुरुष	469185
स्त्री	377120
कुल योग ..	**846305**

शहरी ग्रामीण विभाजन

शहरी	159583
ग्रामीण	686722
कुल योग ..	**846305**

(ख) बेरोजगारी भत्ता योजना–2017 (01–04–2020 से 31–03–2021) तक :

हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं हेतु बेरोज़गारी भत्ता योजना माह अप्रैल, 2017 में अधिसूचित कर दी थी तथा माननीय मुख्यमंत्री हि0 प्र0 ने 15–4–2017 को इसका शुभारम्भ चम्बा में कर दिया था। इस योजना के तहत शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति (कम से कम 50 प्रतिशत स्थाई विकलांगता) के लिए `1500/– (रु0 एक हज़ार पांच सौ) प्रतिमाह की दर से तथा अन्य सभी श्रेणियों के आवेदकों को `1000/– (रु0 एक हज़ार) प्रतिमाह की दर से कुल 2 वर्ष की अवधि हेतु भत्ता देय है। इस योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने की पात्रता की शर्तें निम्न प्रकार से हैं–

इस योजना के दृष्टिगत वे सभी शिक्षित बेरोज़गार आवेदक बेरोज़गारी भत्ता के पात्र होंगे, जो निम्नलिखित मानदंड पूर्ण करते हों :

(क) आवेदक बेरोजगार होना चाहिए (अर्थात् न सार्वजनिक, न निजी क्षेत्र और न ही स्वरोज़गार में हो) और हिमाचल का स्थाई निवासी होना चाहिए।

(ख) आवेदक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।

(ग) आवेदन करने की तिथि को एक वर्ष पहले से आवेदक हिमाचल प्रदेश के किसी रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए।

(घ) आवेदन करने की तिथि से ठीक पूर्व के वित्त वर्ष में सभी स्त्रोतों से आवेदक की पारिवारिक आय `2.00 लाख (दो लाख) से कम होनी चाहिए, इसमें उसके पति/पत्नी की आय भी शामिल है।

(ङ) आवेदन करने की तिथि को आवेदक की आयु 20 वर्ष से अधिक तथा 35 वर्ष से कम होनी चाहिए।

(च) आवेदक सरकार का बर्खास्त कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

(छ) आवेदक किसी ऐसे अपराध में दण्डित न हो जिसकी वजह से 48 घण्टे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हो।

(ज) आवेदक किसी कोर्स का नियमित छात्र नहीं होना चाहिए।

(झ) आवेदक कौशल विकास भत्ता प्राप्त न कर रहा हो।

योजना की पूरी जानकारी विभागीय वैबसाइट http://admis.hp.nic.in/unemp पर उपलब्ध है तथा पात्र युवा भत्ता प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने उपरान्त आवेदन प्रपत्र और स्व–प्रमाणित घोषणा (Self Certified Declaration) प्रपत्र का प्रिंट लेकर तथा वांच्छित प्रमाण–पत्र संलग्न करके सम्बन्धित रोज़गार कार्यालय जहां पर आवेदक का नाम दर्ज है जमा करवायें। योजना के प्रारम्भ से दिनांक 31.03.2021 तक 95,009 अभ्यथियों का रू० 121.07 करोड़ की राशि बेरोज़गारी भत्ते के रूप में विभाग द्वारा वितरित की जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20 व 2020–21 के दौरान दिए गए भत्ते तथा लाभार्थियों की संख्या का विवरण।

वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	प्रदान किए गए भत्ते की राशि रूपये
2017–18	24,129	17,40,56,000
2018–19	31,012 (16,656 इस वित्तीय वर्ष के नए अभ्यार्थी है।)	28,42,64,500
2019–20	50,347 (28,905 इस वित्तिय वर्ष के नए अभ्यार्थी है)	37,75,78,000
2020–21	68,074 (25,319 इस वित्तिय वर्ष के नए अभ्यार्थी है)	37,58,71,000
	कुल 95,009	**1,21,07,06,000**

इस वित्तीय वर्ष (2020–21) का जिलावार ब्यौरा।

क्र0 सं0	जिला	लाभार्थी संख्या	वितरित राशि (रुपये में)
1.	मण्डी	12428	6,34,97,500
2.	कांगड़ा	12795	8,03,21,000
3.	ऊना	6535	3,64,02,000
4.	शिमला	6895	3,64,85,500
5.	कुल्लू	6936	2,54,45,000
6.	सिरमौर	6441	4,28,71,500
7.	बिलासपुर	5165	2,59,44,000
8.	चम्बा	3881	2,20,47,000
9.	हमीरपुर	4404	2,74,06,000
10.	सोलन	2054	1,24,73,500
11.	किन्नौर	287	17,45,500
12.	लाहौल स्पीति	253	12,32,500
	जोड़ ..	**68074**	**37,58,71,000**

बेरोजगारी भत्ता योजना 2017 का वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20 व 2020–21 के दौरान दिया गये भत्ते में वर्ष 2018–19 में क्रम संख्या 9 में वितरीत राशी रू0 1,50,13,500/– में 10,63,500 रूपये की विभ्भिनता अप्रैल 2018 माह से निरन्तर 31–03–2020 तक होने के कारण कुल जोड 28,42,64,500

है जो कि 28,32,01,000 होना चाहिये था। सही वितरित राशि इस वित्तीय वर्ष 2020–21 के प्रतिवेदन में सही करके दर्शाया गई है।

(ग) श्रम एवं रोज़गार निदेशालय में स्थापित विशेष रोज़गार कार्यालय (अंपगों हेतु) द्वारा वर्ष 2020–21 में किये गये कार्यकलापों का विवरण :

सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को रोज़गार सहायता प्रदान करने हेतु श्रम एवं रोज़गार निदेशालय में प्रभारी अधिकारी (स्थापना) के अधीन वर्ष, 1976 में विशेष रोज़गार कार्यालय (अपंगों हेतु) की स्थापना की गई है। समाज के इस कमजोर वर्ग को कई प्रकार की सुविधाएं/रियायतें दी गई हैं जैसे कि मैडिकल बोर्ड द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षा, सरकारी नौकरियों में ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, ऊपरी अंगों की (हाथ तथा बाजू) अपंगता होने पर टंकण करने की छूट तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में 4 प्रतिशत का कार्मिक विभाग (एपी–111) की अधिसूचना संख्याः (एपी)–सीएफ(4)–4/2020, दिनांकः 22–06–2020 द्वारा पदों में नियुक्ति के लिये आरक्षण आरक्षित 4 प्रतिशत सीटें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व सिलाई केन्द्र और विभागीय 100 अंकों में विशिष्ट अंक के विरूद्ध आरक्षण प्रदान करना रोस्टर प्रथम 1 से 25वां, दूसरा 25वां से 50वां, तीसरा 50वां से 75वां व चौथा 75वां से 100वां।

विशेष रोज़गार कार्यालय (विशेष रूप से दिव्यागों के लिये) नियोजकों से प्राप्त रिक्तियों के विरूद्ध पात्र आवेदको के नाम सम्प्रेषित/ प्रायोजित करता है, जोकि अपेक्षित शर्तों और नियमों को पूरा करते हैं।

विशेष रोज़गार कार्यालय (दिव्यागों हेतु) द्वारा किये गये कार्यकलापों का विवरण एंव सक्रिय पंजीका का विवरण निम्न लिखित है।

क्र0सं0	दृष्टिदोष दिव्यांग	श्रवण एंव वाक दिव्यांग	अस्थि दिव्यांग	अन्य	कुल
1.	1966	1407	15,277	418	19,068

क्र0सं0	पंजीकरण	अधिसूचित आरक्षित रिक्तियां	नियुक्तियों के विरुद्ध सम्प्रेषण	सेवा नियोजन	सजीव पंजीका
1.	1421	350	1304	12	19,068

(घ) केन्द्रीय रोज़गार कक्ष की गतिविधियां :

दिनांक :01–04–2020 से 31–03–2021 तक केन्द्रीय रोज़गार कक्ष द्वारा किये कार्य का लेखा जोखा :

हिमाचल प्रदेश के इच्छुक युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवाने की कड़ी में केन्द्रीय रोज़गार कक्ष ने वर्ष 2019–20 में अपने कार्यों को विस्तार देने की कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश में स्थित निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं की जन–शक्ति की मांग को पूरा करने के प्रयास किये गये। हिमाचल प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में स्थित रोज़गार कार्यालयों में कैम्पस इन्टरव्यू (एक नियोक्ता के लिए) करवाये गये ताकि निजी क्षेत्र में कामगारों की मांग को पूरा किया जा सके। जिसका ब्योरा निम्नलिखित से हैः–

वर्ष	कैम्पस इन्टरव्यू	सेवा नियोजन
2020–21	97	1106

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में रोज़गार मेलों (एक से अधिक नियोक्ताओं के लिए) का आयोजन किया गया है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2020–21 में कोविड–19 के उत्पन्न स्थिति के कारण रोजगार मेलें का आयोजन नहीं किया जा सका।

हिमाचल प्रदेश में स्थापित उद्योगों तथा हाईड्रोइलैक्ट्रिक प्रोजैक्टों में हिमाचलियों को 70 प्रतिशत रोज़गार की मोनिटरिंग.–विभाग के क्षेत्रीय रोज़गार अधिकारी/जिला रोज़गार अधिकारी/श्रम अधिकारी तथा श्रम निरीक्षकों को निर्देश जारी किये गये हैं कि वे अपनी सामान्य निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान उद्योगों तथा जल विद्युत परियोजनाओं में **70 प्रतिशत हिमाचलियों को रोज़गार के विषय को भी देखेंगे। जिन उद्योगों तथा जल विद्युत परियोजनाओं में 70 प्रतिशत से कम हिमाचलियों को रोज़गार दिया गया है उनकी सूचना उद्योग विभाग तथा एम0पी0पी0 एण्ड पावर विभाग को भेजी जाती है। अभी तक 391 उद्योगों का निरीक्षण किया गया जिसमें सभी उद्योगों में कामगारों की संख्या 70 प्रतिशत से अधिक है।**

(घ) रोज़गार बाजार सूचना कार्यक्रम :

रोज़गार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत रोज़गार कार्यालय सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के रोज़गार से सम्बन्धित सूचना नियमित रूप से एकत्रित करते हैं। रोज़गार बाज़ार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में जिला स्तर पर रोज़गार के आंकड़े वर्ष 1960 से एकत्रित किए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम भारतीय अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र को ही व्यक्त करता है। जो कि अन्य बातों के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों व निजी क्षेत्रों के उन नियोक्ताओं जिनके पास 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, और कृषि कार्यक्रम से सम्बन्धित नहीं हैं, उनसे यह सूचना एकत्रित की जाती है। रोज़गार के आंकड़े सार्वजनिक क्षेत्र के सभी नियोक्ताओं और निजी क्षेत्र के उन नियोक्ताओं जिनके पास 25 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, और जो कृषि व्यवसाय से सम्बन्धित नहीं हों, से आंकड़े रोज़गार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा उसके अन्तर्गैत नियम, 1960 के तहत एकत्रित किये जाते हैं। रोज़गार के आंकड़े निजी क्षेत्र के छोटे प्रतिष्ठानों, जिसके पास 10 से 24 कर्मचारी कार्यरत हैं, से स्वैच्छिक आधार पर एकत्रित किए जाते हैं। इस विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है, कि हिमाचल प्रदेश में स्थापित निजी क्षेत्र की इकाइयों में अधिक से अधिक हिमाचली युवाओं को रोज़गार प्राप्त हो। रोज़गार कार्यालय द्वारा निजी क्षेत्र की विशेषकर नई इकाइयों से सम्पर्क स्थापित किया जाता है, व उन्हें रोज़गार कार्यालयों (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा नियम, 1960 के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से रिक्तियों को अधिसूचित करने बारे सूचित किया जाता है। इस अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के कुल 257 निरीक्षण किए गए हैं।

निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	कुल निरीक्षण
133	124	257

रोज़गार बाज़ार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार की स्थिति का विशलेषण विभाग द्वारा समय–समय पर भारत सरकार को भेजी गई विवरणियों में किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

अवधि त्रैमासान्त	प्रतिष्ठानों की संख्या		अनुमानित रोजगार	
	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
त्रैमासान्त मार्च/2019	4,399	1,813	2,75,177	1,78,369
त्रैमासान्त मार्च/2020	4,407	1,814	2,75,526	1,83,293

सार्वजनिक क्षेत्र के पांच अंगों में त्रैमासान्त मार्च 2020 में नियोक्ताओं की संख्या एवं अनुमानित रोज़गार

अवधि त्रैमासान्त	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	अर्ध–सरकारी केन्द्रीय	अर्ध–सरकारी राज्य	स्थानीय नियोक्ता

	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार
मार्च/19	123	11,053	2,938	1,96,859	794	20,059	480	43,754	64	3,452
मार्च/20	128	11,126	2,941	1,96,783	794	20,093	480	44,062	64	3,462

निजी क्षेत्र में त्रैमासान्त मार्च 2020 में नियोक्ताओं की संख्या एवं अनुमानित रोजगार

अवधि त्रैमासान्त	अधिनियमित संस्थान		लघु संस्थान	
	25 या अधिक कर्मचारी वाले संस्थान		10 से 24 कर्मचारियों वाले संस्थान	
	प्रतिष्ठानों की संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठानों की संख्या	अनुमानित रोजगार
त्रैमासान्त मार्च/19	1,154	1,67,537	659	10,832
त्रैमासान्त मार्च/20	1,154	1,72,443	660	10,850

सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में त्रैमासान्त मार्च 2020 में औद्योगिक वर्गीकरण में संस्थानों की संख्या एवं अनुमानित रोजगार

क्र0 सं0	व्यवसाय	सार्वजनिक क्षेत्र		निजी क्षेत्र	
		संस्थानों की संख्या	अनुमानित रोजगार	संस्थानों की संख्या	अनुमानित रोजगार
1	2	3	4	5	6
1.	कृषि, शिकार, वानिकी, मत्स्य शिकार एवं पशु व्यवसाय।	163	15696	11	491
2.	खनिज एवं खाद्य	6	116	1	61
3.	उत्पादन	46	1482	1077	146069
4.	विद्युत, गैस एवं जल	162	28036	57	4576
5.	निर्माण	135	34799	16	1706
6.	थोक, व्यक्तिगत एवं घर–गृहस्थी सामान एवं परचून व्यापार।	28	797	38	2259
7.	यातायात एवं भण्डार	37	10767	12	521
8.	होटल एवं रेस्तरां	14	733	181	5027
9.	सूचना एवं संचार	28	7142	22	2051
10.	वित्तीय बीमा	895	17097	40	731
11.	असली सम्पदा, व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यकलाप।	132	7786	1	17
12.	लोक प्रशासन, रक्षा, सामाजिक एवं व्यक्तिगत समस्यायें।	654	49038	2	113
13.	शिक्षा	1848	77002	336	17824
14.	स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	214	24449	20	1767
15.	कला, मनोरंजन, अन्य समाजिक एवं व्यक्तिगत सेवायें।	45	576	0	0
	कुल ..	**4,407**	**2,75,526**	**1,814**	**1,83,293**

वर्ष 2020–21 के दौरान संगठित क्षेत्र में रोज़गार के त्वरित अनुमान

विवरण–1

त्रैमासान्त मार्च 2020 को कुल रोज़गार			त्रैमासान्त दिसम्बर 2019 को कुल रोज़गार
सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	
2,75,526	1,83,293	4,58,819	4,53,546

विवरण–2

औसत महिला रोज़गार

त्रैमासान्त मार्च 2020 को कुल रोज़गार			त्रैमासान्त दिसम्बर 2019 को कुल रोज़गार
सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	
72,533	32,136	1,04,669	1,02,966

विवरण–3

कुल औसत तुलनात्मक रोज़गार

त्रैमासान्त मार्च 2020 को तुलनात्मक रोज़गार		गत वर्ष के त्रैमास के अनुसार वर्तमान त्रैमासान्त में प्रतिशत परिवर्तन
त्रैमासान्त 31–03–2019 को कुल रोज़गार	त्रैमासान्त 31–03–2020 को कुल रोज़गार	
4,53,546	4,58,819	1.2

विवरण–4

औसत तुलनात्मक महिला रोज़गार

त्रैमासान्त मार्च 2020 को तुलनात्मक रोज़गार		गत वर्ष के त्रैमास के अनुसार वर्तमान त्रैमासान्त में प्रतिशत परिवर्तन
त्रैमासान्त 31–03–2019 को कुल महिला रोज़गार	त्रैमासान्त 31–03–2020 को महिला रोज़गार	
1,02,966	1,04,669	1.6

3. रोज़गार प्राप्ति उपरान्त सेवाएं

श्रम कानूनों जिनकी संख्या 28 (केन्द्रीय एवं राज्य) है, के तहत विभिन्न संस्थानों में कार्यरत कामगारों की सेवा शर्तों, सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा कारखानों में औद्योगिक शान्ति, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध से सम्बन्धित सेवाएं प्रदान करना.–यह सेवाएं श्रम विभाग के श्रम खण्ड के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

अध्याय–4

श्रम तथा श्रम कल्याण

श्रम एवं रोज़गार विभाग द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों की सुविधा के लिये विभागो को दो खण्डों में विभाजित किया गया है। श्रम खण्ड में श्रमिकों के कल्याण और रोज़गार खण्ड में रोज़गार कार्यालयों की गतिविधियां हैं, जिनका ब्योरा निम्न प्रकार से है:–

श्रम खण्ड

हिमाचल प्रदेश में श्रम खण्ड का कार्य, 26 केन्द्रीय तथा 2 राज्य श्रम अधिनियमों एवं उनके अर्न्तगत बनाए गए नियमों के प्रावधानों को प्रदेश में लागू करना है। इन श्रम कानूनों में कारखानों, विभिन्न संस्थानों एवं विभिन्न निर्माण कार्यों में कार्यरत कामगारों की सेवा शर्तों, सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि के विस्तृत रूप में प्रावधान किये गये हैं। इन कारखानों/संस्थानों में औद्योगिक शान्ति, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध, गुणवत्ता, उत्पादकता को सुनिश्चित करने और इन क्षेत्रों में विकास/उन्नति सुनिश्चित करने के भी प्रावधान किये गये हैं। कामगारों को सक्षम सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन प्राप्त हो, बाल श्रमिक एवं बन्धुआ मज़दूरी पर रोक लगे, इस सम्बन्ध में भी प्रावधान है। इन सबको सुनिश्चित करने के लिये श्रम विभाग के अधिकारी एवं निरीक्षक समय–समय पर निरीक्षण करते हैं, अवहेलना करने वालों के विरुद्ध सक्षम न्यायालयों में अभियोग चलाये जाते हैं। औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिये कामगारों एवं संस्थान मालिकों/प्रबन्धकों के मध्य हस्तक्षेप करते हैं एवं उचित परामर्श देते हैं तथा जो भी शिकायतें विभिन्न स्तर पर प्राप्त होती हैं उनका निवारण भी करते हैं। श्रम खण्ड में ही कारखाना शाखा भी है जिसके द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत कारखानों का पंजीकरण, नवीनीकरण और कामगारों की सुरक्षा, दुर्घटनायें रोकने और उनकी सेवा शर्तों का कार्यान्वयन, सुनिश्चित किया जाता है।

औद्योगिक सम्बन्ध तथा सामान्य श्रम स्थिति

औद्योगिक सम्बन्धों का महत्वपूर्ण स्थान है। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि तब तक पूर्ण रूप से नहीं हो सकती है, जब तक मालिकों और श्रमिकों में सहयोग एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध न हों। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत समझौता व्यवस्था, औद्योगिक विवादों को रोकने तथा निपटाने में और औद्योगिक शान्ति स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण साधन है। 10 जिला मुख्यालयों पर स्थित श्रम अधिकारियों को समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त श्रम अधिकारी (परियोजना) रामपुर बुशैहर और श्रम अधिकारी बद्दी को भी अपने–अपने क्षेत्र के लिये समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में जहां श्रम अधिकारी के पद सृजित नहीं हैं वहां पर जिला रोज़गार अधिकारियों को समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जहां पर कामगारों की संख्या 200 या उससे कम हो, श्रम निरीक्षक भी समझौता अधिकारी के रूप में औद्योगिक विवादों को निपटाने का कार्य करते हैं। जहां पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा औद्योगिक विवादों का समझौता न हो पाये, वहां पर श्रम अधिकारी, उप–श्रमायुक्त/संयुक्त–श्रमायुक्त और श्रमायुक्त औद्योगिक विवादों को निपटाने में हस्तक्षेप करते हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत, जहां पर 100 या इससे अधिक कामगार कार्यरत हों, उन संस्थानों द्वारा वर्कस कमेटी का गठन करना अनिवार्य है। ये वर्कस कमेटियां भी औद्योगिक शान्ति बनाने में सहायक सिद्ध होती हैं। इन कमेटियों में प्रबन्धकों और कामगारों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। सामान्यतः वर्ष **2020–21** में हिमाचल प्रदेश की श्रम स्थिति संतोषजनक रही है।

31–3–2021 तक श्रम खण्ड में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत कुल पंजीकृत संस्थानों की संख्या और उनमें कार्य कर रहे प्रस्तावित कर्मचारियों का ब्योरा निम्नलिखित है:–

क्रमांक	अधिनियम का नाम	पंजीकृत संस्थानों की संख्या	प्रस्तावित कामगारों की संख्या
1.	कारखाना अधिनियम, 1948	5,275	3,64,240
2.	मोटर ट्रांसपोर्ट वर्करज अधिनियम, 1961	136	7,418
3.	ट्रेड यूनियन्ज अधिनियम, 1926	1,422	19,986
4.	बागान श्रम अधिनियम, 1951	10	183
5.	अन्तर्राज्य प्रवासी कामगार अधिनियम, 1979 (क) प्रमुख नियोक्ता (ख) ठेकेदार	 36 79	 7,905 2,713

6.	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (क) प्रमुख नियोक्ता (ख) ठेकेदार	 1,861 7,308	 1,95,978 3,98,195
7.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	23,363	17,28,643
8.	कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम, 1948	13,325	3,10,200

सांख्यिकीय विवरण

श्रम खण्ड की वित्तीय वर्ष **2020–21** तक की उपलब्धियों/कार्यों का ब्योरा नीचे दी गई तालिकाओं पर वर्णित है। विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत किए निरीक्षणों, सक्षम न्यायालयों में दायर अभियोगों की संख्या, न्यायालय द्वारा निर्णित अभियोगों की संख्या एवं दण्डित किये जाने पर जुर्माने की राशि का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :–

तालिका–1

क्र0 सं0	अधिनियम का नाम	1–4–2020 से 31–3–2021 तक किये गये निरीक्षणों की संख्या	1–4–2020 से 31–3–2021 तक न्यायालय में दायर किये गये चालानों की संख्या	1–4–2020 से 31–3–2021 तक न्यायालय द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	जुर्माने की राशि (रुपये) में
1.	कारखाना अधिनियम, 1948	1436	43	2	42,000
2.	दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1969	5189	323	137	2,87,400
3.	प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961	832	7	2	2,500
4.	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	4488	102	20	27,600
5.	वेतन भुगतान अधिनियम, 1936	4819	129	28	1,08,000
6.	बागान श्रम अधिनियम, 1951	5	0	0	0
7.	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970	1036	20	5	7,000
8.	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	1284	12	1	1,000
9.	उपादान भुगतान अधिनियम, 1972	1638	32	2	25,000
10.	औद्योगिक रोज़गार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946	444	0	0	0
11.	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक संस्थान (राष्ट्रीय त्यौहार के अवकाश आकस्मिक एवं चिकित्सा अवकाश) अधिनियम, 1969	1511	4	2	4,000
12.	मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्ज़ अधिनियम, 1961	33	1	0	0
13.	अन्तर्राज्य प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979	135	6	1	2,000
14.	बाल एंव किशोर श्रमिक (निषेद्ध एवं विनियम) अधिनियम, 1986	2949	5	4	1,05,000
15.	समान वेतन अधिनियम, 1976	818	6	4	17,500
16.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण	479	3	1	1,500

क्र0 सं0	अधिनियम का नाम	1–4–2020 से 31–3–2021 तक किये गये निरीक्षणों की संख्या	1–4–2020 से 31–3–2021 तक न्यायालय में दायर किये गये चालानों की संख्या	1–4–2020 से 31–3–2021 तक न्यायालय द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	जुर्माने की राशि (रुपये) में
	कामगारों (रैगुलेशन ऑफ एम्प्लायमैंट एण्ड कंडीशन ऑफ सर्विस) अधिनियम, 1996				
17.	श्रमजीवी और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विविध प्रावधान अधिनियम, 1955	0	0	0	0
	कुल ..	27,096	693	209	6,30,500

तालिका–2

उपादान अदायगी अधिनियम, 1972

क्रमांक	31–3–20 तक के पिछले अनिर्णित मामले	01–04–2020 से 31–03–2021 तक प्राप्त मामले	कुल मामलों की संख्या (खाना संख्या 3 एवं 4)	31–3–21 तक निर्णित मामलों की संख्या	31–3–2021 तक अनिर्णित मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6
(क) नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा निपटाए गए मामले।	235	371	606	185	421
(ख) एपीलेट अथोरिटी द्वारा निपटाई गई अपीलों का ब्योरा।	24	25	49	28	21

तालिका–3

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

क्रमांक	31–3–2020 को लम्बित मांग पत्रों की संख्या	1–4–2020 से 31–3–2021 तक प्राप्त मांग पत्रों की संख्या	कुल मांग पत्रों की संख्या खाना संख्या (2 एवं 3)	समझौते के दौरान धारा 12(3) के तहत निपटाये गये मामले	असफल मामलों की संख्या जो 12(4) के अधीन भेजे गये	31–3–2021 को लम्बित मांग पत्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
	309	1338	1647	787	502	358

तालिका–4

औद्योगिक रोज़गार (स्टैंडिंग आर्डरज़) अधिनियम, 1946

क्रमांक	अधिनियम का नाम औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 अधिनियम के तहत आने वाले संस्थान	स्टैंडिंग आर्डरज़ जिनको 31–03–2021 तक प्रमाणित करवा लिया गया है
1.	2614	385

तालिका–5

हि0 प्र0 दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1969

क्रमांक	अधिनियम के अधीन बाज़ारों की संख्या	31–3–2021 के अन्त में दुकानों की संख्या	प्रस्तावित कामगारों की संख्या	31–3–21 के अन्त में वाणिज्य संस्थानों की संख्या	31–3–2020 तक कामगारों की संख्या	31–3–2021 तक कुल संस्थानों की संख्या	31–3–2021 के कुल प्रस्तावित कामगारों की संख्या
1.	121	80,108	51,543	18,538	23,977	99,476	75,520

तालिका–6

निम्न अधिनियमों में प्राप्त शिकायतें

क्रमांक	अधिनियम का नाम	31–3–2020 को लम्बित शिकायतों की संख्या	1–4–2020 से 31–3–21 तक प्राप्त शिकायतों की संख्या	योग (खाना संख्या 3 एवं 4)	श्रम निरीक्षकों द्वारा निर्णित शिकायतों की संख्या	श्रम निरीक्षकों द्वारा भुगतान करवाई गई धनराशि (रु0) में	लाभान्वित कामगारों की संख्या	31–3–2021 को अनिर्णित मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	वेतन भुगतान अधिनियम, 1936	607	1402	2009	1440	5,43,16,585	3926	569
2.	हि. प्र. दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1969	0	0	0	0	0	0	0
3.	हि. प्र. लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के श्रमिकों का विनियम	10	7	17	8	11,66,000	290	9
4.	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	0	1	1	1	89,000	14	0

औद्यौगिक विवाद अधिनियम, 1947

औद्यौगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत निदेशालय स्तर पर 31.03.2020 को 165 विवाद सन्दर्भ हेतू लम्बित थे। वित्त वर्ष 2020–21 (01.04.2020 से 31.03.2021) के दौरान 604 विवाद उक्त अधिनियम की धारा 12(4) के अनर्तगत निदेशालय में प्राप्त

हुए, अतः कुल विवाद 769 हो गए। इस वित्त वर्ष (01.04.2020 से 31.03.2021) के दौरान 492 मामले विभिन्न श्रम न्यायालयों को निर्णय हेतू भेजे गए तथा तथा उक्त अधिनियम की घारा 12(5) के अर्न्तगत 96 निरस्त किए गए, तथा 31.03.2021 को 181 मामले शेष हैं।

01-04-2020 से 31-03-2021तक विथाग द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत अर्जित आय का ब्यौराः									
क0 सं0	अधिनियम का नाम	01.04.20 तक संस्थानों की संख्या	वर्ष के दौरान पंजीकृत संस्थानों की संख्या	पंजीकरण शुल्क एकत्रित (रू0 में)	वर्ष के दौरान नवीनीकृत संस्थानों की संख्या (यदि कोई हो)	लाईसैंस / नवीनीकरण शुल्क एकत्रित (रू0 में)	अधिनियम की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन पर एकत्रित जुर्माना (रू0 में)	वर्ष के अन्त में पंजीकृत संस्थानों की संख्या	कुल राशि एकत्रित (रू0 में) (कॉलम 3 + कॉलम 5+कॉलम 6)
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	कारखाना अधिनियम,1948	5185	90	3,39,89,909	0	0	4000	5275	3,39,93,909
2	दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम,1969	1,01,335	2,502	19,85,380	3,651	20,26,895	2,54,400	1,03,837	42,66,675
3	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970	6,432	126	1,89,329	286	1,20,502	17,000	6558	3,26,831
4	मोटर टांसपोर्ट वर्कर्रज अधिनियम,1961	134	2	5,600	10	1,11,075	0	136	1,16,675
5	अर्न्तराज्य प्रवासी कर्मकार अधिनियम,1979	22	0	0	0	0	2,000	22	2,000
6	ट्रेड यूनियन ज अधिनियम,1926	1395	27	210	0	0	0	1422	210
7	बागान श्रम अधिनियम,1951	10	0	0	0	0	0	10	0
8	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों (रैगूलेशन	1711	37	38925	5	1250	12250	1748	52425

	ऑफ एम्पलाय मैंट एण्ड कन्डिश न ऑफ सर्विस) अधिनिय म, 1996								
	कुल	1,16,2 24	2,784	3,62,09,3 53	3,952	22,59,722	2,89,650	1,19,0 08	3,87,58,7 25

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों के अर्न्तगत निम्नलिखित बोर्ड और समितियों का समय–समय पर गठन किया जाता है :–

क्रमांक	अधिनियम का नाम	बोर्ड/ समिति का नाम	गठन का उद्देश्य
1	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन अनुसूचित व्यवसायों में न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन/ पुनः निर्धारण बारे में सरकार को परामर्श देना
2.	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन अनुसूचित व्यवसायों में न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन/ पुनः निर्धारण बारे में सरकार को परामर्श देना
3	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970	राज्य सलाहकार श्रम ठेका बोर्ड	ठेकेदारी वर्ग पद्धति पर जहाँ पर सम्भव हो सके, रोक लगाना, और जहां रोक लगाना सम्भव न हो, इस प्रथा का विनयम करना और इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिर्शे सरकार को देना
4	बन्धुआ मजदूर(विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1976	जिला तथा सभी उप मण्डल स्तरों पर सर्तकता समितियॉ	बन्धुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करना उन्मूलन/पुनर्वास सम्बन्धित कार्यवाही ।
5.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों (रैगूलेशन ऑफ एम्पलायमैंट एण्ड कन्डिशन ऑफ सर्विस) अधिनियम, 1996	राज्य स्तरीय बोर्ड	हि0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत कामगारों के कल्याण के लिए हि0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार बोर्ड का गठन किया गया है।
6.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों (रैगूलेशन ऑफ एम्पलायमैंट एण्ड कन्डिशन ऑफ सर्विस) अधिनियम, 1996	राज्य स्तरीय समिति	इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावी कियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया है जो समय समय पर राज्य सरकार को परामर्श देगी।

न्यूनतम वेतन

न्यूनतम वेतन निर्धारण व पुनः निर्धारण, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अर्न्तगत होता है। हिमाचल प्रदेश सरकार उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समय–समय पर न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड एवं न्यूनतम वेतन सलाहाकार समिति का पुर्नगठन करती रही है। इसका उदेश्य सरकार को विभिन्न व्यवसायों में न्यूनतम वेतन की दरों में निर्धारण एवं संशोधन करने में परामर्श देना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 19 अधिसूचित व्यवसायों में कार्यरत विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के वेतन में वित्तीय वर्ष **2020–21** में न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति के परामर्श के पश्चात समस्त अनुसूचित व्यवसायों मे अकुशल श्रमिकों के वेतन की न्यूनतम दर **275/–रू० प्रतिदिन या रू० 8250**/–प्रतिमाह प्रथम अप्रैल, 2020 से निर्धारित किया है, जो कि पिछले न्यूनतम वेतन से **25** रूपए अधिक है। अर्ध कुशल, कुशल तथा उच्च कुशल कामगारों के वेतन में भी **25** रूपए प्रतिदिन की दर से बढ़ौतरी की गई है जो कि **01.04.2020** से लागू है। वर्ष 2021–22 की बजट घोषणा के अनुसार समस्त अनुसूचित व्यवसायों में अकुशल श्रमिकों के वेतन की न्यूनतम दर रू0 **275**/– से बढ़ा कर **300**/– प्रतिदिन या **रू0 9000**/–की दर से पुनर्निधारित की गई है जिसकी अधिसूचना सरकार द्वारा कर दी गई है। यह दर बढ़ौतरी अर्ध कुशल, कुशल तथा उच्च कुशल कामगारों को **01.04. 2021** से देय है। जिन अनूसूचित व्यवसायों में बढ़ौतरी की है वे निम्न प्रकार से हैं:–

1. कृषि।

2. सड़क और भवन निर्माण पत्थर पिसाई क्रशिंग/पत्थर तुड़ान।
3. फौरेस्टरी एवं टिम्बरिंग आप्रेशन।
4. पब्लिक मोटर ट्रासंपोर्ट।
5. दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के व्यवसाय।
6. रसायन एवं रसायन उत्पाद।
7. इन्जीनियरिंग उद्योग।
8. चाय बागान।
9. विनिर्माण क्रिया में नियोजन जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–2 के खण्ड (क) में परिभाषित।
10. होटल/रेस्तरां।
11. निजि शैक्षणिक संस्थान।
12. हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं।
13. फार्मास्यूटिकल उद्योग।
14. अस्पताल, नर्सिंग होम एवं क्लिनिक।
15. घरेलू कामगार।
16. सफाई कर्मचारी नियोजन।
17. सुरक्षा सेवाएं।
18. मंदिर और धार्मिक स्थान/ धर्मशालाएं।
19. टोल टैक्स बैरियरों में कार्यरत कामगार।

20. इसके अतिरिक्त सुरंग के अन्दर कार्यरत कामगारों की मजदूरी की न्यूनतम वेतन की दरों पर 20 प्रतिशत बढ़ौतरी देय है ।

21. हिमाचल प्रदेश के गैर जन–जातीय क्षेत्रों में 'निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं' में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन पर 25 प्रतिशत की बढ़ौतरी देय है

22. हिमाचल प्रदेश के जन –जातीय क्षेंत्रों में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन पर 25 प्रतिशत की बढ़ौतरी देय है। अगर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनायें/ जन–जातीय क्षेत्र में है तो इसमें कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन दरों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ौतरी देय है ।

23. महिला–पुरूष कामगारों को समान कार्य के लिए (व्यस्क या अव्यस्क) एक समान वेतन निर्धारण किया गया है ।

उपरोक्त सभी अनुसूचित व्यवसायों में कार्यरत कामगारों को न्यूनतम वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने श्रम खण्ड के अधिकारियों एवं निरीक्षकों के अतिरिक्त समस्त तहसीलदारों (महाल) एवं जिला रोजगार अधिकारियों को तथा सांख्यिकीय सहायक (श्रम) को भी "निरीक्षक" नियुक्त किया है। यदि निरीक्षक स्तर पर न्यूनतम वेतन एवं वेतन भुगतान सम्बन्धी शिकायतों का समय पर निपटारा नहीं होता है तो सरकार ने अपने–अपने क्षेत्रों में सभी न्यायिक दण्डाधिकारी (मैजिस्ट्रेटों)/ सिविल न्यायधीशों को न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अर्न्तगत सुनवाई करने और निर्णय करने के लिए प्राधिकारी नियुक्त किया है ताकि वे न्यूनतम वेतन सम्बन्धी वेतन दावों का निपटारा कर सकें।

कामगारों को समय–समय पर देय वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अपने–अपने क्षेत्रों में सभी न्यायिक दण्डाधिकारी (मैजिस्ट्रेटों)/सिविल न्यायाधीशों को वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत प्राधिकारी नियुक्त किया है, जिसके फलस्वरूप प्रभावित कामगार अपनी शिकायत दायर करके निपटारा करवा सकते हैं।

बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिये योजना बनाना

बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिये योजना बनाई गई है। बन्धुआ मजदूर अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अर्न्तगत सभी जिला तथा उपमण्डल स्तर पर बन्धुआ मजदूरी से सम्बन्धित शिकायतों का निपटारा करने के लिए सतर्कता समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के किसी भी जिले में इस वर्ष बन्धुआ मजदूर का कोई भी मामला नहीं पाया गया है।

बाल एवं किशोर श्रमिकों का उन्मूलन कार्यक्रमः

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बाल एवं किशोर श्रमिक प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रदेश के 10 अन्य विभागों के अधिकारियों को बाल श्रमिक अधिनियम,1986 के अन्तर्गत निरीक्षक की शक्तियां प्रदान की गई है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रम सं0	अधिकारी का नाम/पद	विभाग का नाम
1	2	3
1.	समस्त उप–मण्डल अधिकारी,हि0प्र0	राजस्व
2.	आयुक्त नगर निगम शिमला	स्थानीय निकाय
3.	समस्त खण्ड विकास अधिकारी हि0प्र0	आर.डी.व पंचायती राज
4.	समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार हि0 प्र0	राजस्व
5.	समस्त महाप्रबन्धक/प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, हि0 प्र0	उद्योग,
6.	समस्त श्रम अधिकारी,हि0 प्र0	श्रम एवं रोजगार
7.	समस्त जिला रोजगार अधिकारी,हि0 प्र0	–उक्त–
8,	समस्त कार्यकारी अधिकारी,नगर परिषद्/नगर पंचायत हि0 प्र0	स्थानीय निकाय
9,	समस्त हैड कांस्टेबल एवं उससे उपर के पुलिस अधिकारी,हि0 प्र0	पुलिस
10.	समस्त जिला/तहसील कल्याण अधिकारी, हि0 प्र0	समाजिक न्याय एवं अधिकारिता
11.	समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी,हि0 प्र0	–उक्त–
12,	समस्त बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी, हि0 प्र0	–उक्त–
13.	समस्त पंचायत निरीक्षक,हि0 प्र0	आर.डी.व पंचायती राज
14.	समस्त जिला/सहायक पर्यटन विकास अधिकारी हि0 प्र0	पर्यटन
15.	स्वास्थ्य अधिकारी,नगर निगम	स्थानीय निकाय
16.	समस्त जिला/सहायक खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
17.	समस्त माप एवं तोल निरीक्षक, हि0 प्र0	माप एवं तोल
18.	आबकारी एवं कराधान अधिकारी/आबकारी निरीक्षक, हि0 प्र0	आबकारी एवं कराधान

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996

भवन व अन्य सन्निर्माण गतिविधियों में कार्यरत मजदूरों के कल्याण हेतू सरकार ने राज्य में भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम,1996 के अर्न्तगत हिमाचल प्रदेश भवन व अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियम) नियम, 2008 बनाये हैं, जिन्हें दिनांक 4–12–2008 को अधिसूचित किया गया है । राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा –18 के अर्न्तगत भवन व अन्य निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के कल्याण हेतु हि0 प्र0 भवन व अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन दिनांक 5–3–2009 को किया गया है । यह बोर्ड भवन व निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को पैन्शन सुविधा, प्रसूती लाभ, मकान की खरीद अथवा निमार्ण हेतु अग्रिम राशि, अपंगता पैन्शन, औजार खरीदने हेतू ऋण, अन्तिम संस्कार सहायता, मृत्यु प्रसुविधा लाभ, चिकित्सा सहायता, शिक्षा हेतु वित्तिय सहायता, शादी हेतु वित्तिय सहायता, पारिवारिक पैन्शन एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना , राष्ट्रीय स्वास्थय बीमा योजना, भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकारों के लिए पारगमन आवास सुविधा और महिला कामगार लाभार्थी के स्वयं पति/पत्नी और दो बच्चों तक कौशल विकास भत्ता ईत्यादि कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्रदान करता है। भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम,1996 और उसके अन्तर्गत नियम केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये हैं । इस अधिनियम के अनुसार जो भी भवन व अन्य सन्निर्माण सम्बन्धित कार्य होगें उनके कुल व्यय का 1 प्रतिशत उपकर उपरोक्त कल्याण बोर्ड में जमा होगा तथा इस कल्याण निधि से उपरोक्त लाभकारी योजनाओं का संचालन सुनिश्चित किया जाता है । प्रत्येक कामगार जिसने पूर्व 12 मास के दौरान 90 दिन या अधिक दिनों तक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य किया हो वह बोर्ड के साथ पंजीकृत होने एवं लाभ प्राप्त करने के

पात्र हैं और जिस कामगार ने पिछले 12 मास के दौरान 90 दिन या उससे अधिक मनरेगा में कार्य किया हो वह भी बोर्ड के साथ पंजीकृत होने एवं लाभ प्राप्त करने के पात्र है।

कामगारों को पहचान पत्र प्रदान करना

श्रम विभाग हिमाचल पद्रेश सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी औद्यौगिक ईकाइयों व निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं में कामगारों व ठेका श्रमिकों को कारखाना व परियोजना के प्रबन्धक पहचान–पत्र कामगारों को जारी कर रहे हैं जिनका सत्यापन सम्बन्धित श्रम अधिकारी द्वारा किया जाता है। पहचान–पत्रों को प्रदान करने के लिए हिमाचल पद्रेश न्यूनतम वेतन नियम, हिमाचल प्रदेश श्रम ठेका नियम, हिमाचल प्रदेश अर्न्तराज्य प्रवासी कामगार नियम तथा औद्यौगिक रोजगार (स्थाई आदेश) नियम में संशोधन किया गया है जिसमें कामगारों को पहचान–पत्र जारी करना सुनिश्चित किया गया है ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952

क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय,शिमला में स्थित है। इस योजना के अर्न्तगत कारखाने तथा संस्थानों के कर्मचारियों द्वारा आवश्यक भविष्य निधि में अंशदान का प्रावधान है। यह अधिनियम उन कारखानों व प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के लिये अनिवार्य रूप से लागू है, जिन कारखानों व प्रतिष्ठानों में कामगारों की संख्या 20 या इससे अधिक है तथा **15000/–रू**पये मासिक वेतन वाले कर्मवारी इस योजना के अर्न्तगत शमिल किये जाते है। उक्त अधिनियम के प्रावधान हिमाचल प्रदेश में **23,363** औद्योगिक संस्थानों में लागू है तथा **17,28,643** कामगारों को उक्त अधिनियम के अर्न्तगत सामाजिक सुरक्षा प्रदान कि **जा रही है।** यह सूचना क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि के कार्यालय , शिमला द्वारा प्रदान की गई है। इस अधिनियम का कार्यनवयन क्षेत्रीय कर्मवारी भविष्य निधि आयुक्त हिमाचल प्रदेश द्वारा किया जाता है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम, 1948

क्षेत्रीय निदेशक ई0एस0आई0 कॉरपोरेशन का कार्यालय बद्दी (ई0एस0आई0 कॉम्पलैकस) में स्थित है। यह अधिनियम योजना में लाये गये कर्मचारियों और उनके परिवारों को बीमारी में निशुल्कः चिकित्सा और प्रसुति तथा व्यवसाय के कारण अपंगता व मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान करता है । यह अधिनियम साल भर चलने वाले उद्योगों, जहां पर 20 या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं, पर लागू है। यह खानों तथा रेलवे शैडों में लागू नहीं होता । जिन श्रमिकों का मासिक वेतन 21,000/– रूपये व इससे कम है वह इसके अर्न्तगत आते हैं। यह योजना कर्मचारियों व मालिकों के अंशदान से चलाई जाती है तथा कुल व्यय का 1/8 भाग प्रदेश सरकार देती है। यह योजना हिमाचल प्रदेश के सात जिलों शिमला,सोलन,सिरमौर,मण्डा,उना,इिलासपुर तथा कांगडा में लागू है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम, 1948 के प्रावधान हिमाचल प्रदेश में 13,325 औद्योगिक संस्थानों में लागू है तथा 3,10,200 कामगारों को उक्त अधिनियमों के अर्न्तगत सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इस अधिनियम का कार्यनवयन इं0एस0आई0सी0 द्वारा किया जाता है।

कामगारों के लिये शिक्षा योजना

हिमाचल प्रदेश में कार्यरत कामगारों को शिक्षा देने का कार्य क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड, परवाणु द्वारा किया जाता है। श्रमायुक्त हिमाचल प्रदेश इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। कामगारों को श्रम अधिनियमों एवं नियमों में निहित सेवा शर्तें, सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धित प्रावधानों के बारे में अवगत करवाना तथा उत्पादकता, औद्योगिक सम्बन्ध और दायित्व एवं कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है । कामगारों को उनके कर्तव्यों व अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिये केन्द्रीय संचालित योजना के अधीन शिक्षित किया जाता है । कामगारों को शिक्षित करके दोहरे लाभ की आशा की जा सकती है। एक तो इससे कार्यकुशलता व उत्पादन को बढ़ावा मिलता है तथा साथ ही यह शिक्षा दी जाती है कि वे कामगार संगठनों में अपनी भलाई के लिये कारगर रूप में इस तरह से काम करें कि उनको अधिकतम लाभ हो ।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रघानमंत्री श्रम योगी मानघन पैंशन योजना

प्रघानमंत्री श्रम योगी मान–धन पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों कल्याण के लिए 15 फरवरी, 2019 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। इस योजना का विधिवत उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 5 मार्च, 2019 को मण्डी में राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए योजना को शुरू करने की विधिवत घोषणा की गई। पात्र लाभार्थियों को जागरूकता शिविरों के माध्यम से ब्रोशर प्रदान कर उन्हें लोक मित्र केन्द्रों में मुफत पंजीकरण करवाने का आग्रह किया गया और उक्त पेंशन योजना को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। आठ क्षेत्रीय भाषाओं में जिंगल के माध्यम से भी हिमाचल प्रदेश के समाचार चैनलों द्वारा प्रसारित कर योजना पर प्रकाश डाला गया। दिनांक 20.08.2020 तक अंसगठित क्षेत्र में 41266 श्रमिकों को प्रघानमंत्री पेंशन योजला के तहत पंजीकृत किया गया है।

योजना की पात्रताः–

1. घरेलू कामगार, बोझ उठाने वाले, भट्टे पर काम करने वाले, मोची कचरा उठाने वाले, घोबी, फेरी वाले, कृषक कामगार, भवन निमार्ण कार्य के कामगार, हस्त कला/हतकरघा, चर्म, ऑडियो/वीडियो कार्य/मिड–डे मील कार्यकर्ता/स्वयं रोजगार एंव मनरेगा व समान अन्य व्यवसाय में कार्यरत व्यक्ति इस योजना के पात्र है।
2. पंजीकरण की आयु 18 से 40 बर्ष के मध्य हैं तथा लोक मित्र केन्द्रों मे लाभर्थीयो का मुफत पंजीकरण किया जाता है।

3. अधिकतम मासिक आय 15,000 रूपये माह या उससे कम है।
4. ई0एस.आई ई.पी.एफ., आयकारदाता व पेंशन धारी पात्र नहीं है।

योजना का लाभः–

1. पंजीकृत कामगार को 60 बर्ष पूर्ण होने पर 3000/– रूपये प्रतिमाह पेंशन सूनिश्चित है।
2. पंजीकृत कामगार की मृत्यु के उपरान्त उसके आश्रित पति/पत्नी को 50% पैंशन ।

मासिक अंशदानः–

1. न्यूनतम 55/–रूपये अधिकतम 200/– रूपये (आयु अनुसार)

2. मसिम अंशदान का बराबर भाग भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान–घन पैंशन योजना की तरह एक नई योजना जिसमें लघु उद्यमी व स्व–रोजगार व्यक्तियों के लिए भी केन्द्र सरकार द्वारा एन.पी.एस–टी(NPS-T)योजना शुरू की गई।

योजना की पात्रताः–

1. इस योजना के तहत रिटेल ट्रेडर्स, दुकानदारों और अपना रोजगार करने वाल लोग पात्र है।
2. पंजीकरण की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य है। तथा लोक मित्र लोक मित्र केन्द्रों में लाभार्थीयों का मुफत पंजीकरण किया जाता है।
3. अधिकतम मासिक आय 15,000 रूपये माह या उससे कम है।
4. ई0एस.आई ई.पी.एफ., आयकारदाता व पेंशन धारी पात्र नहीं है।

इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ तथा मासिक अंशदान प्रधानमंत्री श्रम योगी मान–घन **पैंशन योजना** के समान है।

श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण

औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 के अर्न्तगत औद्योगिक विवादों का न्यायिक निर्णय करने के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार ने दो श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण स्थापित कियें है। एक श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण शिमला में स्थापित है जिसका कार्यक्षेत्र जिला शिमला, किन्नौर, सोलन, सिरमौर तथा लाहौल स्पिती का काजा उप–मण्डल है तथा दूसरा श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण धर्मशाला में स्थापित किया गया है जिसका कार्यक्षेत्र जिला कांगड़ा, चम्बा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर,मण्डी कुल्लु तथा लाहौल स्पिति का लाहौल भाग शामिल है। इन न्यायालयों में औधोगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत जिला एवं सत्र न्यायधीश के पद के बराबर के एक–एक स्वतन्त्र पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये गए हैं इन न्यायालयों में निम्न अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त किये गए हैंः–

क्रमांक	पदनाम	संख्या
1	पीठासीन अधिकारी	2
2	वरिष्ठ आशुलिपिक	2
3	स्टेनो टाईपिस्ट	3
4	वरिष्ठ सहायक–कम–रीडर	3
5	अहलमद	3
6	चालक (Outsourse)	2
7	दफतरी	2
8	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3
9	स्वीपर कम चौकीदार	1

इन न्यायालयों की स्थापना मजदूरों तथा प्रबन्धकों के बीच होने वाले विवादों को निपटाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 के अर्न्तगत की गई है । मजदूरों और प्रबन्धकों के बीच होने वाले विवादों को श्रम विभाग इन न्यायालयों एवं न्याय प्राधिकरणों को न्याय निर्णय हेतू अधिसूचित करता है । इसके अतिरिक्त कामगार देय राशि भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र सीधे तौर पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 (सी) (2) के अर्न्तगत दिये गए प्रावधानों के अनुरूप श्रम न्यायालय में दायर कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में श्रम न्यायालयों को औद्योगिक प्राधिकरण की शक्तियों दी गई हैं जबकि कई अन्य राज्यों में श्रम न्यायालय और औद्योगिक प्राधिकरण अलग–अलग हैं । श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक प्राधिकरण, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत दावों पर भी निर्णय करता हैं।

उपरोक्त न्यायालय हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं तहसीलों में जाकर भी प्रदेश के मजदूरों के दावों की सुनवाई करके न्याय प्रदान करते हैं क्योंकि कामगार जो दूर–दराज के क्षेत्रों में कार्यरत है, अपने मुकदमों की पैरवी के लिये शिमला/धर्मशाला नहीं आ सकते हैं । सरकार श्रम कानूनों को लागू करने के लिये प्रतिबद्ध है ताकि मजदूरों को न्याय मिल सके । यह न्यायालय मजदूरों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय देने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं ।

1.4.2020 से 31.3.2021 तक श्रम न्यायालयों द्वारा किये गये कार्य का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रमांक	विवरण	सन्दर्भ	आवेदन	जोड़
1	31.03.2020 को लम्बित मामले	995	370	1365
2	1.4.2020 से 31.3.2021 तक प्राप्त मामले	478	233	711

3	31.03.2021 तक कुल मामले	1473	603	2076
4	1.4.2020 से 31.3.2021 तक निपटाये गये मामले	123	103	226
5	31.3.2020 तक लम्बित मामले	1350	500	1850

विभाग में वर्ष 1994 में विधि सहायक का पद उपलब्ध करवाया गया जो कि वर्ष 2007 में विधि अधिकारी (राजपत्रित, श्रेणी–II) के नाम से पुनः नामित किया गया। तद्नुसार निदेशालय स्तर पर एक विधि कक्ष की स्थापना की गई जो कि माननीय न्यायालय के मामलों में एंव शाखा अधिकारी की आवश्यकता अनुसार कानूनी सलाह प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है। विभाग में विधि अधिकारी का एकमात्र पद है और उसे सरकारी स्तर पर सरकार तथा श्रम एंव रोज़गार विभाग से सम्बन्धित सभी मामलों को देखना होता है। विधि कक्ष में दिनांकः 01–04–2019 से 31–03–2020 की अवधि के दौरान विभिन्न न्यायालयों से कुल 127 मामले प्राप्त हुये।

दिनांक 01–04–2020 से 31–03–2021 तक निदेशालय श्रम एंव रोज़गार, हि० प्र० के न्यायालय में मामलों का विवरणः–

क्रमांक	माननीय न्यायालय का नाम	31–03–2020 तक प्राप्त कुल मामले	01–04–2020 से 31–03–2021 तक कुल मामले	31.03.2021 तक प्राप्त कुल मामले	31–03–2021 तक कुल निपटाये गये मामले	31–03–2021 को कुल लम्बित मामले
1.	उच्चतम न्यायालय	35	6	41	21	20
2.	हि० प्र० उच्च न्यायालय	1268	111	1016	606	410
3.	हि० प्र० प्रशासनिक प्राधिकरण	157	0	157	45	112
4.	अवर श्रेणी न्यायालय	31	5	36	5	31
	कुल	**1491**	**122**	**1250**	**677**	**573**

अध्यादेश के माध्यम से श्रम कानूनों में संशोधन

भारत सरकार के अधीन श्रम मंालय के दिशा निर्देशानुसार अध्यादेश के माध्यम से निम्नलिखित केन्द्रीय श्रम कानूनों में बिनेस रिफार्म एक्शन प्लान के तहत संशोधन किया गया है तथा तत्पश्चात् लागू भी कर दिया गया है।

1 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
2 श्रम ठेका (विनियम एंव उन्नमेलन) अधिनियम,1970
3 कारखाना अधिनियम, 1948

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) 1973 और संशोधन नियम, 1991 में संशोधन करके फिक्सड टर्म एम्प्लॉयमेंट को समाविष्ट करने के लिए संशोधन प्रस्ताव तैयार कर प्रशासनिक विभाग को भेजा गया है जो कि वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन है।

हिमाचल प्रदेश ईज ऑफ कम्प्लाइन्स टू मैन्टेन रजिस्टर अंडर वेरियस लेबर लॉज नियम 2019 जो कि केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार बनाए गए है जिनमें श्रम कानूनों के अन्तर्गत रजिस्टरों की संख्या को 55 से घटाकर 4 करने का प्रावघान निहित है, उसका प्रारूप प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग को भेजा गया हैं जोकि आगामी कार्यवाही हेतू राज्य सरकार के विचाराधीन है।

Budget & Actual Expenditure Statement Figures Demand No. 27-Labour, Employment & Training

Sl. No.	Head of Account	Sanctioned Budget 2020-21 (in Rs.)		Actual Expenditure 2020-21(in Rs.)	
		PLAN	NON-PLAN	PLAN	NON-PLAN
1.	01-Labour,001-Direction & Administration,01-Staff at the Hqrs.				
		—	17615000	—	11042955
2.	01-Labour, 101-Industrial Relaltions, 01-Enforcement of Labour Laws.				
		—	59324000		44451681
3.	01-Labour-101-Industrial Relaltions-02- Industrial Disputes				
		—	18891000	—	11985501
4.	01-Labour, 101-Industrial Relations, 03-Wage Board				
		—	11000	—	0
5.	01-Labour, 102-Working Conditions & Saftey, 01-Inspectorate of Factories.				
		—	1125000	---	917298
6.	02-Employment, 001-Direction & Administration-01-Staff at the Directorate of the Employment.				
			9818000	---	9403712
7.	02-Employment, 004-Research, Survey & Statistics, 01-Collection of EMI				
		—	7028000	----	4725703
8.	02-Employment, 101-Employment Services, 01-Extension Coverage of Employment Services.				
		—	114098000	----	88639953
9.	02-Employment, 101-Employment Services, 02-Vocational Guidance & Employment Counselling.				
		2200000	3704000	2070600	2762321
10.	02-Employment, 101-Employment Services, 03-University Employment Information & Guidance Bureau.				
			1109000	---	897766
11.	02-Employment, 101-Employment Services, 05-Special Employment Exchanges (Scheduled Castes).				
			1709000	---	580780
12.	03-Training, 003-Training of Craftsman & Instructors, 09-Skill Development Allowance.				
		—	990000000	---	273340514
13.	02-Employment, 800-Other Expenditure, 01-Unemployment Allowance.				
		-----	400450000	---	396255686
14.	2059-Minor Works-01-053-42				
		—	1000	---	0
15	2059-Minor Works-01-053-96				
		---	1000	------	0
16	4250-Capital Works				
		21400000	--	21400000	------
17.	2235-Pensioners of Labour & Employment Department.				
		—	4822000	---	4721228
	Total	**23600000**	**1629705000**	**23470600**	**849725098**

	Budget & Actual Expenditure Statement Figures Demand No.31-Tribal Development				
Sr. No.	Head of Account	Sanctioned Budget 2020-21		Actual Expenditure 2020-21	
		PLAN	NON-PLAN	PLAN	NON-PLAN
1.	01-Labour, 796-Tribal Area-Sub-Plan, 01-Expenditure on inforcement of Labour Laws.				
		250000	3555000	113808	2835427
2.	02-Employment, 796-Tribal Area Sub Plan, 01-Expenditure on Employment Services.				
		1500000	8284000	817130	3206034
3.	03-Training, 796-Tribal Area Sub Plan, 06-Skill Development Allowance				
		—	10314000	—	2028628
4	2230-Labour & Employment,02-Employment Service,796-Tribal Area Sub Plan,02-Unemployment Allowance.				
			10000000	----	2978000
	Total	**1750000**	**32153000**	**930938**	**11048089**

CENTRALLY SPONSORED SCHEMES (100% PLAN CENTRAL)

1.	02-Employment-101-Employment Services-04-Model Career Centre(COON)				
	Office Expenses	457594	0	457594	0
	Minor Works	0	0	0	0
	Rem. to Out Source	0	0	0	0
	Total	**457594**		**457594**	

Receipt Major Head-0230 Financial Year 2020-21

Sl. No.	Head of Account	Estimated Receipt (in Rs.)	Actual Receipt (in Rs.)
1.	0230-00-101-01 Under Labour Laws	27000	60297
2.	0230-00-102-01 Regn. of Trade Union	11000	1130
3.	0230-00-104-01 Fees Under Factory Act	45137000	33989909
4.	0230-00-106-001 Fees Under Contract Labour Act	864000	1398188
5.	0230-00-800-01 Fees Under Motor Transport Act	216000	120473
6.	0230-00-800-02 Fees Under Shops & Comm. Establishment Act.	6480000	7354739
7.	0230-00-800-05 Recovery of Over Payment	540000	1024786
8.	0230-00-800-07-Others Misc. Recovery	1080000	187736
9.	0230-00-800-11 Fine under BOCW Act.	6397000	7418869
10.	0230-00-800-10-Cess	162000	4370
11.	Fine Imposed under BOCW Act	270000	2641
	Total	**61184000**	**51563138**

अध्याय–7

Right to Information
Government of Himachal Pradesh
Department of Labour & Employment

No. Shram(A)4-2/2005 Shimla-171 001 ***the 19th March, 2019.***

NOTIFICATION

In exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Right of Information Act, 2005, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to publish the records and other activities of the Labour & Employment Department, as under :—

	The particulars of its organisation, functions and duties	The Department of Labour & Employment came into existence in 1972 after segregation from Industries Department. It is mainly responsible for implementation of various Labour Laws (27 Central & 2 State Acts) and for providing employment assistance to job-seekers. The Department has been playing the role of a facilitator and regulator. It comprises of 3 wings— Labour, Factories & Employment. The Labour wing is primarily looking after the welfare, health & safety of the workers in the industrial and commercial establishments. It is also responsible for maintaining industrial peace and harmony between the managements and the workers. The Factory Wing is responsible for approval of Building Plans of factories, issue and renewal of factory licence and inspection of factories to ensure compliance of provisions regarding health, safety and welfare of factory workers. The Employment wing helps the interested job seekers and other persons interested in self employment by way of registration, sponsoring and by providing vocational guidance and career counselling.
2.	The powers and duties of its officers and employees.	Cases which are disposed off at the level of Secretary (Lab and Emp.) Govt. of HP : i) Establishment matter relating to Lab. & Emp. Deptt. ii) Lok Sabha/ Rajya Sabha Questions iii) Court Cases iv) Budget, Financial Matter/Expenditure sanctions. v) Publication of Awards Deputy Secretary : i) All correspondence relating to personnel matters/financial sanctions etc. are routed through him to the Secretary. ii) Public representations received in this office are forwarded to the concerned departments for report and appropriate action. Section Officer : i) To supervise all the work relating to personnel/budget and public representative etc. ii) To ensure all the Dealing Asstt. and Diarist are maintaining all required registers and keep the same updated. iii) To keep carefully watch on the movements of dak files between section and higher authorities. iv) To ensure timely submission of time bound cases/Court cases.

		v) To ensure that all manuals, Rules, inspections, guard files etc. of the section are kept up to date. Superintendent : i) To supervise all the work of dealing Asstts. under their control. ii) To ensure timely submission of all papers according to their priority. Sr./Jr. Asstt. : i) Opening/maintaining of files and noting and drafting up to date of various types of data and maintenance of various registers. ii) Establishment matters including R & P Rules, maintenance of service books, service records, leave account, pension cases, disciplinary matters, pay fixation, finalisation of seniority, court cases and other misc. matters. Clerk : i) Diary and despatch/movement of files weekly & monthly statements etc. ii) Maintenance of leave account and other misc. work entrusted by the S.O.
3.	The procedure followed in the decision making process including channels of supervision and accountability.	All the cases in the Branch are submitted on file by the concerned Dealing Asstts. Supervised by the Supdt. and submitted to the S.O. He submits it further to the Under Secretary then to the Secretary. Routine matters and informatory references are disposed off at S.O./Under Secretary level. Financial matters/expenditure sanctions, decision taking power vests with the Secretary.
4.	The norms set by it for the discharge of its functions.	As stated at Point No. 2 & 3.
5.	The Rules, Regulations, instructions, manuals and records held by it or under its control.	The various rules & regulations/instructions followed are as under:— 1. HPFRs 2. CCS & CCA Rules 3. Conduct Rules 4. Medical Attendance Rules 5. Delegation of financial powers 6. LTC Rules/GPF Rules/Pension Rules etc. 7. R & P Rules 8. Office Manuals
6.	Statement of the categories of the documents that are held by it or under its controls.	N.A.
7.	The particulars of any arrangement that exists for consultation with representation by the members of the public in relation to the formulation of its policy or administration thereof.	N.A.
8.	A statement of the Board, Councils Committee &	N.A.

	Other bodies consisting of two or more persons constituted as its part of or for the purpose of its advice and as to whether meetings of those Boards/ Councils/ Committee and other Bodies are open to the public or the minutes of such meetings are accessible for public.	
9.	A directory of its officers and employees.	1. Secretary (Lab & Emp.)- Ph. No. 2621876, 2880735 2. Deputy Secretary: Ph. No. 2628499, 2880527 3. Senior Private Secretary/P.A.: Ph. No. 2621876, 2880735 4. Section Officer: Ph. No. 2880444 5. Superintendent: Ph. No. 2880544 6. Sr. Asstts.: Ph. No. -do- 7. Jr. Asstt.: Ph. No. -do- 8. Clerks: Ph. No. -do- 9. Peon.: Ph. No. -do-
10.	The monthly remuneration received by each of its officer and employees including the system of compensation as provided in its Regulation.	N.A.
11.	The Budget Allocated to each of its agency indicating the particulars of all plans, proposed expenditure and reports on disbursement made.	N.A.
12.	The manner of execution of subsidy programmes, including the amount allocated and the details of beneficiaries of such programmes.	N.A.
13.	Particulars of recipients of concessions permits or authorizations granted by it.	N.A.
14.	Details in respect of the information available to or held by it, reduced in an electronic form.	N.A.
15.	The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working of a library or reading room, if maintained for public use.	N.A.

16.	The names, designations and other particulars of the Public Information Officers.	This department *vide* Notification dt. 31-10-2005 has already designated the officers of the Lab. and Employment Deptt. as Appellate Authority/Public Information Officer. The said information is also available on the official website of the State Government.
17.	Such other information as may be prescribed.	The list of all the Acts and Rules which are pertaining to the L & E Deptt. is available on the Website of the Deptt.

By order,
Sd/-
Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of H.P.

Endst. No. Shram (A) 4-2/2005 Shimla-2, the 10th April, 2007

Copy to:—

1. The Principal Secretary (AR) to the Govt. of HP Shimla-2.
2. All the Admn. Secretaries, H.P. Shimnla-2.
3. All the HOD's in H.P.
4. All Div. Commissioners/ DCs in H.P.
5. The Controller, P & S, H.P. Shimla-5, for publication in the Rajpatra (Extra ordinary).
6. Guard File.

Sd/-
Deputy Secretary (Lab. & Emp.)
to the Government of H.P.

अध्याय–8

Government of Himachal Pradesh
Directorate of Labour & Employment

OFFICE ORDER

No. Shram(Prastha)11/05.— Shimla-171 001, 22nd August, 2020

The particulars of the organization, functions and duties etc. required to be published as per provisions of Sub-Section (1)(b) of Sec. 4 of the Right to Information Act, 2005 are as under:—

(I) Particulars of Labour & Employment Department, its functions & duties :

The Department is regulatory in nature and primarily concerned with ensuring the implementation of Labour Acts (26 Central & 2 of the State) and of the Employment Exchange (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959 and Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Participations) Act, 1995. The Labour Wing of the department is primarily responsible for implementation /enforcement of Labour Laws and maintaining Industrial Peace. The Factory Wing is looking after the Registration of Factories, Welfare & Safety of Workers working in such Factories. The Employment Wing gives Employment Assistance, primarily to the youth.

The names of the Labour Acts are as under:—

1. Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976
2. Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970
3. Child Labour (Regulation and Prohibition) Act, 1986
4. The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996.
5. Cine Workers and Cinema Theatre Workers (Regulation of Employment) Act, 1981.
6. The Building and Other Construction Workers Cess Act, 1996
7. Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952
8. Employees State Insurance Act, 1948
9. Equal Remuneration Act, 1976
10. Factories Act, 1948

11. Industrial Dispute Act, 1947
12. Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946
13. Interstate Migrant Workman (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979.
14. The Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by certain Establishments) Act, 1988.
15. Maternity Benefit Act, 1961
16. Minimum Wages Act, 1948
17. Motor Transport Workers Act, 1961
18. Payment of Bonus Act, 1965
19. Payment of Gratuity Act, 1972
20. Payment of Wages Act 1936
21. Plantation Labour Act, 1951
22. Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976
23. Trade Unions Act, 1926
24. Working Journalists and other Newspapers Employees (Condition of Service and Miscellaneous Provisions) Act, 1955.
25. Workman Compensation Act, 1923
26. Employment Exchanges (Compulsary Notification of Vacancies) Act, 1959
27. Persons with Disabilities (Full Participation, Equal Opportunities & Protection of Rights) Act, 1995.

STATE ACTS

1. Himachal Pradesh Shops & Commercial Establishments Act,1969
2. H.P. Industrial Establishments (National & Festivals Holidays, Casual & Sick Leave) Act, 1969.

(II) Powers and duties of Officers and Employees :

Labour Commissioner-*cum*-Director of Employment is also the Chief Inspector of Factories, Registrar of Trade Unions, Chief Inspector of Shops and Conciliation Officer under Industrial Disputes Act, 1947.

The Directorate monitors the working of the field offices. Registration of Factories is done under the Factories Act, 1948 and disputes are referred to the two Labour Courts-*cum*-Industrial Tribunals in H.P. at Shimla and Dharamshala under the Industrial Disputes Act, 1947, Registration of Trade Unions is done under the Trade Union Act, 1926 Registration of Motor Transport is done under Motor Transport Act Prosecution sanctions are given to the field functionaries to launch prosecution against the defaulters under various Labour Laws.

Employment Assistance is provided to Physically Handicapped and sponsoring of skilled registrants to private sector, inspection of subordinate offices and Establishments in Private and Public Sector.

POWER & DUTIES

Labour Commissioner:

Labour Commissioner is functioning as Chief Inspector of Factories, Chief Inspector of Shops and Commercial Establishments under the respective Acts. The Labour Commissioner is also functioning as Conciliation Officer under the Industrial Disputes Act, 1947 and Registrar Trade Unions under the Trade Unions Act, 1926. The Labour Commissioner also functions as Inspector under the various Labour laws and the Certifying Officer under Industrial Employees (Standing Order) Act.

Joint Labour Commissioner:

The Joint Labour Commissioner is functioning as Additional Chief Inspector of Factories under the Factories Act,1948 and the Certifying Officer under Industrial Employees

(Standing Orders) Act, Appellate Authority under the Payment of Gratuity Act and also functioning as Inspector under various Labour laws and also functioning as conciliation officer under the Industrial Disputes Act, 1947 for whole H.P.

Deputy Labour Commissioner:
The Deputy Labour Commissioner is functioning as Deputy Chief Inspector of Factories under the Factories Act, 1948, Appellate Authority under the Contract Labour Act (R&A) Act, 1970, Registering Officer under the Motor Transport Worker Act, 1961 and also functioning as Inspector under the various Labour laws and also functioning as conciliation officer under the Industrial Disputes Act, 1947 for whole H.P.

Labour Officers & Labour Inspectors:
Labour Officers and Labour Inspectors are also Conciliation Officers for Industrial Disputes. Labour Officers act as controlling authority to decide claims of gratuity under Payment of Wages Act,1970. Registration Officers and licensing officer under Contract Labour Act (R & A) Act, 1970 and Inter State Migrant Workmen (RECS) Act. Where there are more than 200 workers and Labour Officer is not posted in the District, there District Employment Officers discharge the duty of Conciliation Officer to try and resolve Industrial Dispute arising between management and workers. They also carry out Inspection of Public and Private Sector Units. Labour Officers and Labour Inspectors ensure implementation of Labour Acts including the shops registration, implementation of Minimum Wages and forwarding of cases regarding violation of provision of payment of wages, Gratuity, Bonus to Directorate for obtaining prosecution sanctions.

Deputy Director of Factories:
Deputy Director of Factories looks after Registration of Factories and Safety & welfare of workers working therein.

EMPLOYMENT SECTION

At the Directorate Labour Commissioner-*cum*-Director of Employment is assisted by Deputy Director Employment and by Employment Market Information Officer, State Vocational Guidance Officer, Officer in Charge (Placement), (Special Employment Exchange for Physically Handicapped) and Employment Officer (Central Employment Cell).

Regional Employment Officers and District Employment Officers give Vocational Guidance, Career Counseling and Employment Assistance for jobs in Private Sector and Govt. Sector as well as for self employment, to such persons who are residing in their territorial jurisdiction. They also inspect subordinate Employment Exchanges. Private and Public sector establishments in their districts are also inspected by them and Employment Officers, Superintendent Grade-II and Statistical Assistants. Incharges of Sub Office Employment Exchanges are also carrying out these functions except that of inspection. The two UEIGBs at HPU Shimla and Chaudhery Sarwan Kumar Himachal Pradesh Agriculture University Palampur are giving vocational guidance mainly to the respective University students.

(III) Procedure followed in decision making process including channels of supervision and accountability:
All offices are working independently but under administrative control of next higher office. They can also be inspected by superior departmental officers. The office of Assistant Director of Factories Una, all University Employment Information Guidance Bureaus, Regional Employment Exchanges, District Employment Exchanges and office of Labour Officers are audited by A.G. Office from time to time.

(IV) The norms set by discharge of its function:

Registration and renewal of registration in Employment Exchange is done on the same day and sponsoring of registrants is also done within scheduled time (Generally four weeks).

(V) The rules, regulations, instructions, manuals and records held by it or under its control:

Being a regulatory department it ensures the implementation of the Acts (and Rules) as mentioned at Sr. No. I hereinabove as also all Rules and instructions of Himachal Pradesh Govt. applicable on the Departments.

(VI) Statement of the categories of the documents:

A statement of the categories of the documents that are held by it or under its control. Files related to ensuring the implementation the Acts & Rules mentioned against Sl. No. (V) hereinabove. Also files related to Budget, Plan and Annual Administrative Report etc.

(VII) The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or administration thereof:

(a) State Committee on Employment notified on 30-1-2006 comprising of Hon'ble Employment Minister as Chairman, 16 Members and Director of Employment as Member Secretary includes representatives of Employers workers as well as public representatives.

(b) District Committee on Employment notified on 30-1-2006 comprising of respective DCs as Chairman, 10 members and respective REOs/DEOs as Member Secretary including representatives of employers, workers and public representatives.

(c) Minimum Wages Advisory Board constituted on 1-9-2003 comprising of Chairman, 37 members and member Secretary and constituted a committee on 30-1-2004 comprising of Chairman, 11 members and member Secretary.

(d) Expert Committee under Building and Construction Act constituted on 24 Sep, 2003 comprising of Chairman, 9 member and member secretary.

(e) Regional Board for H.P. Region under ESI Act, 1948 which consist of a Chairman,Vice-Chairman, 3 members, Ex-Officio member, 2 Employees Representative, 6 Employers Additional Representative and member Secretary.

(f) Regional Committee for State of H.P. under Employee Provident Fund Scheme, 1952 which consists of Chairman, 2 official members, 5 members of employers representative, 5 members of employees representatives.

(g) Three local committees under Regional Board constituted under ESI (Gen.) Regulation, 1950 consisting following members: Chairman, Member, Labour Inspector, Medical Officer, Incharge, 4 members of Factory & Branch Manager, ESI Corporation.

(h) State Level Tripartite Committee which consist of Chaiman, Vice-Chairman, 14 members and Member Secretary.

(i) State Advisory Contract Labour Board consisting Chairman, 7 members, Member Secretary.

(j) State Labour Welfare Board consisting Chairman (Hon'ble Chief Minister) 112 Members and Member Secretary.

(VIII) A statement of the board, councils committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part of or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public or the minutes of such meetings are accessible for public.

As mentioned against item No. (vii) here in above meetings are not open to public as such. However, due care has been taken to involve all the stake holders.

(IX) A Directory of Officers and Employees:

Sl. No.	Name of the Officer	Designation	Office Telephone Nos.

Sl. No.	Name of the Officer	Designation	Office Telephone Nos.
1.	Dr. Neeraj Kumar, IAS	Labour Commissioner-*cum*-Director of Employment, H.P.	0177-2625085
2.	Sh. Jatinder Bindra	Labour Officer and holding the additional charges of Deputy Director Factories, Directorate	0177-2624305
3.	Sh. A.K.Sood	Deputy Director Factories, New Himrus Building, HP, Shimla-1	0177-2624157
4.	Smt. Nirmal Gupta	Superitendent Grade-1, New Himrus Building, HP, Shimla-1	0177-2624305
5.	Sh. Rajesh Sharma	District Employment Officer, Himrus Building, HP, Shimla-1	0177-2620229
6.	Sh. Surinder Singh	Assistant Director Factories, Una Zone, District Una	01975-224095
7.	Sh. Anil Chandel	District Employment Officer, U.S. Club, Shimla	0177-2658174
8.	Sh. Safra Ram	District Employment Officer,District Mandi	01905-235508
9.	Sh. Shammi Sharma	Distrcit Employment Officer, Dharamshala, District Kangra	01892-224892
10.	Sh. Sandeep Thakur	District Employment Officer, District Solan	01792-223746
11.	Sh. Sanjay Kumar	Statistical Assistant and holding charge of Distrcit Employment Officer, District Nahan	01792-222274
12.	Sh. Rajesh Mehta	District Employment Officer, District Bilaspur	01978-222450
13.	Smt. Manorma Devi	District Employment Officer, District Kullu.	01902-222522
14.	Smt. Anita Gautam	District Employment Officer, District Una	01975-226063
15.	Smt. Sudha Sood	District Employment Officer, District Hamirpur	01972-222318
16.	Sh. Arvind Singh Chauhan	District Employment Officer, District Chamba	01899-222209
17.	Sh. Puran Chand	District Employment Officer, Keylong, District Lahaul & Spiti	01900-222252
18.	Sh. Prithvi Singh	Labour Officer holding the additional charge of District Employment Officer, Kannaur	01786-222291
19.	Sh. Jatinder Bindra	Labour Officer and holding the charge of Labour Officer, Shimla	0177-2624706
20.	Sh. Prithvi Singh	Labour Officer, Rampur, District Shimla	01782-234286
21.	Sh. Raj Kumar Sharma	Labour Officer, Dharamshala, Distt. Kangra	01892-225329
22.	Sh. Jatinder Bindra	Labour Officer, District Solan	01792-227076
23.	Sh. Pyare Lal	Labour Officer, District Mandi	01905-235542
24.	Sh. Puran Chand	Labour Officer, District Bilaspur	01978-221516
25.	Sh. Anurag Sharma	Labour Officer, District Chamba	01899-223233
26.	Sh. Dinu Ram	Labour Officer, District kullu	01902-223698
27.	Sh. Prithvi Singh	Labour Officer and holding the charge of Labour Officer Kinnaur	01786-222007
28.	Sh. Chander Mani Sharma	Labour Officer, Sirmour at Nahan	01702-226144

Sl. No.	Name of the Officer	Designation	Office Telephone Nos.
29.	Sh. Munish Karol	Labour Officer, Baddi, District Solan	01795-271210
30.	Sh. Prem Singh Chambyal	Labour Officer, District Una	01975-224243

(X) The monthly remuneration received by each of its officers and employees including the system of compensation as provided in its regulations.

Post	Pay Scale
Labour Commissioner-*cum*-Director of Employment, IAS	37400+67000+8700 G.P.
Deputy Director of Factories	15600-39100+7800 G.P.
Joint Labour Commissioner	15600-39100+6600 G.P.
Deputy Labour Commissioner	15600-39100+6000 G.P.
Deputy Director of Employment	15600-39100+6000 G.P.
District Employment Officers	15600-39100+5400 G.P.
Regional Employment Officers	10300-34800+5000 G.P.
Superintendent Grade-I	15600+39100+5400 G.P.
Labour Officers	10300-34800+5000 G.P.
Employment Officers	10300-34800+5000 G.P.
Law Officer	10300-34800+4400 G.P.
Superintendent Grade-II	10300-34800+4800 G.P.
Personal Assistant	10300-34800+4800 G.P.
Senior Scale Stenographer	10300-34800+4400 G.P.
Statistical Assistant	10300-34800+4400 G.P.
Senior Assistant	10300-34800+4400 G.P.
Labour Inspectors	10300-34800+4200 G.P.
Computer Operator	10300-34800+3200 G.P.
Junior Assistant	10300-34800+3600 G.P.
Junior Scale Steno	10300-34800+3600 G.P.
Driver	5910-20200+2000 G.P.
Steno-typist	5910-20200+2000 G.P.
Clerk	5910-20200+1900 G.P
Daftri	4900-10680+1800 G.P.
Peon, Chowkidar & Sweeper	4900-10680+1650 G.P.
Frash	4900-10680+1650 G.P.

(XI) The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursement s made;

Standard Object of Expenditure wise budget is allocated to each Drawing and Disbursing Officer and expenditure is regularly monitored.

(XII) The manner of execution of subsidy programmes, including the amount allocated and the details beneficiaries of such programmes;

Not Applicable.

(XIII) particulars of recipients of concessions, permits or authorization granted by it;

Not Applicable.

(XIV) Details in respect of the information available to or held by it, reduced in an electronic Form:

Registration record of Regional Employment Exchange Shimla, Registration record of Central Employment Cell at Directorate, Salary disbursement at Directorate.

(XV) The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working of a library or reading room, if maintained, for public use;

(XVI) The offices of the department are open to citizens for obtaining information on all working days, especially on all working Mondays when officers are available for meeting the citizens.

The names, designations and other particulars of the Public Information Officers;

Name of Department: Labour & Employment, Himachal Pradesh

Detail of PIO & Appellate Authority

Sl. No.	Name of the PIO	Designation	Complete Office Address	Office Telephone Nos.
PIO				
1.	Sh. Jatinder Bindra	Labour Officer and holding the additional charge of Deouty Labour Commissioner	Directorate of Labour & Employment, New Himrus Building, H.P. Shimla-1.	0177-2424305
2.	Sh. A.K.Sood	Deputy Director Factories	Directorate of Labour & Employment, New Himrus Building, H.P. Shimla-1.	0177-2624157
3.	Smt. NirmaL Gupta	Superintendent Grade-1	Directorate of Labour & Employment. New Himrus Building, H.P. Shimla-1.	0177-2624305
4	Sh. Rajesh Sharma	District Employment Officer.	Directorate of Labour & Employment. New Himrus Building, H.P. Shimla-1.	0177-2624305
5.	Sh. Surender Singh	Assistant Director Factories	Assistant Director Factories Una	01975-224095
6.	Sh. Anil Chandel	District Employment Officer	Regional Employment Exchange, U.S. Club, Shimla	0177-2658174
7.	Sh. Safra Ram	District Employment Officer	Regional Employment Exchange, Mandi	01905-235508
8.	Sh. Shammi Sharma	District Employment Officer	Regional Employment Exchange, Dharamshala.	01892-224892
9.	Sh. Sandeep Thakur	District Employment Officer	District Employment Exchange, Solan	01792-223747
10.	Sh. Sanjay Kumar	Statistical Assistant and holding the charge of District Employment Exchange Nahan	01702-222274	01902-222522
11.	Rajesh Mehta	District Employment Officer	District Employment Exchange, Bilaspur.	01978-222450
12.	Smt. Manorma Devi	District Employment Officer	District Employment Exchange, Kullu.	01902-222522

13.	Smt. Anita gautam	District Employment Officer	District Employment Exchange, Una	01975-226063
14.	Smt. Sudha Sood	District Employment Officer	District Employment Exchange, Hamirpur.	01972-222318
15.	Sh. Arvind Singh Chauhan	District Employment Officer.	District Employment Exchange, Chamba.	01899-222209
16.	Sh. Puran Chand	District Employment Officer.	District Employment Exchange,Lahul & Spiti at Keylong	01900-222252
17.	Sh. Prithvi Singh	Labour Officer and holding the additional charge of District Employment Officer Kinnaur	District Employment Exchnage Kinnaur	01786-222291
18.	Jatinder Bindra	Labour Officer and holding the additional charge of Labour Officer Shimla	Labour Officer, Shimla Himrus Bhawan, H.P.	0177-2624706
19.	Sh. Prithvi Singh	Labour Officer	Labour Office, Rampur	01782-234286
20.	Sh. Raj Kumar Sharma	Labour Officer	Labour Office, Dharamshala	01892-225329
21.	Sh. Jitender Bindra	Labour Officer	Labour Office, Solan	01792-227076
22.	Sh. Pyare Lal	Labour Officer	Labour Office, Mandi	01905-235542
23.	Sh. Puran Chand	Labour Officer	Labour Office, Bilaspur	01978-221516
24.	Sh. Anurag Sharma	Labour Officer	Labour Office, Chamba	01899-223233
25.	Sh. Dinu Ram	Labour Officer	Labour Office, Kullu	01902-223698
26.	Sh. Prithvi Singh	Labour Officer and holding the charge of Labour Officer, Kinnaur	Labour Office, Kinnaur at Nahan	01786-222007
27.	Sh. Chander Mani Sharma	Labour Officer	Labour Officer, Baddi	01795-271210
28	SH. Munish Karol	Labour Officer	Labour Officer, Baddi	01795-271210
29	Sh. Prem Singh Chambyal	Labour Officer	Labour Officer, Una	01975-224243

B. Appellate Authority

1.	Sh. Neeraj Kumar, IAS.	Labour Commissioner-*cum*-Director of Employment, H.P.	New Himrus Bhawan Shimla-171001.	0177-2625085

(XVII) Such other information may be prescribed; and thereafter update those publications every year.